"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 मई 2023 — वैशाख 21, शक 1945

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ–9–5/2023/तक.शि./42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ फॉर्मेसी (एम. फार्मेसी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार–**

(1) यह नियम ''छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ फॉर्मेसी (एम. फार्मेसी) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम–2023'' कहलायेंगे।

(2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषायें** –इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा –

(1) 'छत्तीसगढ़' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01–11–2000 को अस्तित्व में आया ।

(2) 'पीसीआई' से अभिप्रेत है, फार्मेसी कॉउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।

(3) 'संचालक' से अभिप्रेत है, संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर।

(4) 'अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।

(5) 'अल्पसंख्यक संस्था' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।

(6) 'निजी संस्था' से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।

(7) 'जी.पी.ए.टी.' से अभिप्रेत है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा एम.फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूट टेस्ट।

(8) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

3. **प्रवेश हेतु आरक्षण** – एम.फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रावधान, इन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. **प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता**– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फार्मेसी में चार वर्षीय स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष उपाधिधारी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण।

5. **प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा** –

(1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेन्ट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

(2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

6. **प्रावीण्यता सूची**–

(1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु प्रावीण्यता सूची जी.पी.ए.टी. में प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।

(2) समान प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

7. **काउंसिलिंग**– सीटों के आबंटन हेतु काउंसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा कॉउंसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। कॉउंसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैर वापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।

8. **सीट आबंटन का क्रम** – एम. फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

9. **दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश**–

(1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।

(2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

10. **प्रवेश की अंतिम तिथि**– पीसीआई/संचालक द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।

11. **प्रवेश रद्द करना**– यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

12. **कठिनाईयों का निराकरण**– इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में कॉउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।

13. **संशोधन**–छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

14. **निर्वचन**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

15. **निरसन एवं व्यावृत्ति –** इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों क अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.—The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission in the institutions of Chhattisgarh for Master of Pharmacy (M. Pharmacy) Program of the institutions of Chhattisgarh, namely:–

1. **Short title and extent.–**

(1) These rules may be called "Admission Rulesfor Master of Pharmacy (M.Pharmacy)Program for institutions of Chhattisgarh, 2023".

(2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:

(1) 'Chhattisgarh' means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01.11.2000 due to the notification of the Central Government;

(2) 'PCI'means the Pharmacy Council of India, New Delhi;

(3) 'Director' means the Director, Technical Education, Chhattisgarh, Atal Nagar, Raipur;

(4) 'Candidate' means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;

(5) 'Minority Institution' means such institution, which has been notified as a minority Educational Institution by the Government of Chhattisgarh;

(6) 'Private Institution' means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;

(7) 'G.P.A.T.'means the Graduate Pharmacy Aptitude Test, an all-Indialevel entranceexamination conducted by the National Testing Agency, New Delhi for the purpose ofdetermining the merit list for admission to the M. Pharmacy program;

(8) 'Counselling Committee' means the committee, formedby the State Government for conducting counselling work for admission in various programs and to take decisionson admission-related issues.

3. **Reservation for Admission.** - The reservations for admission to the M. Pharmacy program shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh, as per the law at the time of admission to this program.

4. **Educational Qualification for Admission**- Passed Four-year Bachelor's Degree in Pharmacy from a recognized University/Institution or equivalent degree with at least 55 percentmarks for unreserved category candidates and 50 percentmarks for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Persons with Disability of Chhattisgarh.

5. **Management and Minority quota in seats for admission.** -

(1) There shall be 15 percent seats under management quota in private institutions.

(2) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in privateinstitutions, which are declared Minority Institutions by the ScheduledTribal and Scheduled Caste Development Department of Governmentof Chhattisgarh.

6. Merit Lists. -

(1) Under these rules the merit list shall be prepared in the descendingorder of the percentage of marks obtained in G.P.A.T.

(2) Among the candidates who obtain the same percentage of marks, the candidates who are older in age shall be placed higher in the merit list.

7. Counselling. - Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counseling committee shall be constituted by the government forcounselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.

8. Order of seat allotment. –Allotment of seats for admission to the M. Pharmacy program shall be done first according to the merit list of Rule 6, to the candidates,who are domicile of Chhattisgarh, and even thereafter if the seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Rule 6.

9. Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.-

(1) The allotment of seats done in the counselling shall be procedural. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.

(2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.

10. Last date of admission- The date fixed for admission by PCI/Directorshallbe considered as the last date.

11. Cancellation of Admission. -If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/ incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.

12. Removal of Difficulties. - In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counselling committee shall be final.

13. Amendment. - State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/ procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.

14. Interpretation. - If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.

15. Repeal and Savings. - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ–9–5/2023/तक.शि/42— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार–**

(1) यह नियम "छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम–2023" कहलायेंगे।

(2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषायें** –इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा –

(1) 'छत्तीसगढ़' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01–11–2000 को अस्तित्व में आया ।

(2) 'अभातशिप' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।

(3) 'अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।

(4) 'अल्पसंख्यक संस्था' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।

(5) 'निजी संस्था' से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।

(6) 'सी.एम.ए.टी.' से अभिप्रेत है, नशनल टेस्टिंग एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट।

(7) 'एम.ए.टी.' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, मैनेजमेंट एप्टीट्यूट टेस्ट।

(8) 'सी.ए.टी.' से अभिप्रेत है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यकम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, कॉमन एडमिशन टेस्ट।

(9) 'एक्स.ए.टी.' से अभिप्रेत है, जेवियर लेबर रिलेशन्स इंस्टीट्यूट, जमशेदपुर द्वारा एम.बी.ए. पाठ्यकम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, जेवियर एप्टीट्यूट टेस्ट।

(10) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

3. **प्रवेश हेतु आरक्षण–** एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रावधान, इन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. **प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता–** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी मान्यता प्राप्त संकाय/विषय में अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ कम से कम तीन वर्षीय स्नातक अथवा पॉच वर्षीय इंटीग्रेटेड उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण।

5. **प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा –**

(1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेन्ट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

(2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

6. **प्रावीण्यता सूचियॉ–**

(1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावीण्यता सूचियां बनाई जायेंगी –

(क) सी.एम.ए.टी. प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची सी.एम.ए.टी. में प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।

(ख) एम.ए.टी./सी.ए.टी./एक्स.ए.टी./ए.टी.एम.ए. प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची एम.ए.टी./सी.ए.टी./एक्स.ए.टी./ए.टी.एम.ए. प्रवेश परीक्षाओं को समतुल्य मानते हुये इनके प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।

(2) समान प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

7. **काउंसिलिंग–** सीटों के आबंटन हेतु काउसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा कॉउसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। कॉउसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैर वापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।

8. **सीट आबंटन का क्रम–**

(1) एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

(2) उप नियम (1) अनुसार सीटें आबंटित करने के पश्चात बची हुई सीटों का आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

9. **दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश–**

(1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।

(2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

10. **प्रवेश की अंतिम तिथि–** अपातशिप द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।

11. **प्रवेश रद्द करना–** यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

12. **कठिनाईयों का निराकरण–** इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में कॉउसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।

13. **संशोधन–** छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

14. **निर्वचन–** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

15. **निरसन एवं व्यावृत्ति–** इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्‌द्वारा निरसित किये जाते हैं।

परंतु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूर्व इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.— The StateGovernment acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission in the institutions of Chhattisgarh for Master of Business Administration (M.B.A.) program, namely:

1. **Short title and extent.** -

(1) These rules may be called "Admission Rules for Master of Business Administration (M.B.A.) Program for the Institutions of Chhattisgarh, 2023".

(2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:

(1) 'Chhattisgarh' means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01-11-2000 due to the notification of the Central Government;

(2) 'AICTE' means the All India Council for Technical Education, New Delhi;

(3) 'Candidate' means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;

(4) 'Minority Institution' means such institution, which has been notified as a minority Educational Institution by the Government of Chhattisgarh;

(5) 'Private Institution' means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;

(6) 'C.M.A.T.' means the Common Management Admission Test, All India Level Entrance Examination conducted by the National Testing Agency, New Delhi for the purpose of determining the merit list for admission to M.B.A. Program;

(7) 'M.A.T.' means the Management Aptitude Test, All India Level EntranceExamination, conducted by the All India Management Association for the purpose of determining the merit list for admission to M.B.A. Program;

(8) 'C.A.T.' means the Common Admission Test, All India level Entrance Examination conducted by the Indian Institute of Management for the purpose of determining the merit list for admission to M.B.A. Program;

(9) 'X.A.T.' means Xavier Aptitude Test, All India level Entrance Examination conducted by Xavier Labour Relations Institute, Jamshedpur for the purpose of determining the merit list for admission to M.B.A. Program;

(10) 'Counselling Committee' means the committee formed by the State Government forconducting counselling work for admission to various programs and to take decisionson admission-related issues.

3. **Reservations for Admission.** - The reservations for admission to the M.B.A. program shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh as per the law at the time of admission to this program.

4. **Educational Qualification for Admission.** –Passed three years degree program or five years integrated degree program in any recognized faculty/ subject from a recognized University/ Institution with 50 percent marks for unreserved category candidates, and 45 percent marks for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with disability of Chhattisgarh.

5. **Management and Minority quota in seats for admission.** -

(1) There shall be 15 percent seats under management quota in private institutions.

(2) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in private institutions which are declared Minority Institutions by the Scheduled Tribal andScheduled Caste Development Department of Government of Chhattisgarh.

6. Merit Lists. -

(1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules -

(a) C.M.A.T.Merit List - This merit list shall be prepared in the descending order of the percentage of marks obtained in C.M.A.T.

(b) M.A.T./C.A.T./X.A.T./A.T.M.A. Meritlist – Considering these entrance examinations as equivalent, this merit list shall be prepared in descending orderof percentage of marks scored in M.A.T./ C.A.T./ X.A.T./ A.T.M.A.

(2) Among the candidates who obtain the same percentage of marks, the candidates who are older in age shall be placed higher in the merit list.

7. Counselling.- Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counselling committee shall be constituted by the government for counselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.

8. Order of seat allotment.–

(1) Allotment of seats for admission to the M.B.A. program shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh,according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6 and even after that if seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates who are domicile of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

(2) After allotting the seats as per Sub-Rule (1), the remaining seats shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh as per the merit list in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even thereafter if the seats are leftvacant, thentheir allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

9. Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.-

(1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.

(2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/heradmission shall be treated as cancelled.

10. Last date of Admission.- The date fixed by AICTE for admission shall be considered as the last date for admission.

11. Cancellation of Admission.- If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/Universityduring the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.

12. Removal of Difficulties. - In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counselling committee shall be final.

13. Amendment.- State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.

14. Interpretation. - If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.

15. Repeal and Savings. - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ–9–5/2023/तक.शि/42—— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक.) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार–**

(1) यह नियम "छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक.) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम–2023" कहलायेंगे।

(2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषायें** –इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा –

(1) 'छत्तीसगढ़' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01–11–2000 को अस्तित्व में आया ।

(2) 'अभातशिप' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।

(3) 'अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।

(4) 'निजी संस्था' से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।

(5) 'जी.ए.टी.ई.' से अभिप्रेत है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा एम.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग।

(6) 'प्रायोजित अभ्यर्थी' से अभिप्रेत, उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जो राज्य शासन/केन्द्र शासन/किसी पंजीकृत कम्पनी/संस्था में पूर्णकालिक अथवा संविदा पर कम से कम दो वर्ष से नियोजित है तथा जिसे नियोक्ता/प्राधिकारित अधिकारी द्वारा पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने तथा अध्ययन करने हेतु अनुमति दी गयी हो।

(7) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

3. **प्रवेश हेतु आरक्षण** –एम.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रावधान, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. **प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता–** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.ई./बी.टेक.) अथवा समुचित विषय में समकक्ष उपाधिधारी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 45 पतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण। समुचित एम.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा एवं समुचित विषय अभातशिप के अनुसार होगी।

5. **प्रवेश हेतु सीटों में प्रायोजित कोटा–** प्रायाजित अभ्यर्थियों के लिए 25 प्रतिशत सीटे रहेगी। प्रायोजित कोटा के अंतर्गत केवल प्रायोजित अभ्यर्थी ही प्रवेश ले सकता है। इस कोटे में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।

6. **प्रावीण्यता सूचियॉ–**

(1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावीण्यता सूचियां बनाई जायेंगी –

(क) जी.ए.टी.ई. प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची जी.ए.टी.ई. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।

(ख) अर्हकारी परीक्षा प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में संस्था स्तर पर बनाई जायेगी।

(2) समान प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

7. **काउंसिलिंग–** सीटों के आबंटन हेतु काउसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा कॉउसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। कॉउसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैर वापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।

8. **सीट आबंटन का क्रम** – एम.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

9. **दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश–**

(1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।

(2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

10. **प्रवेश की अंतिम तिथि–** अभातशिप द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।

11. **प्रवेश रद्द करना–** यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यथी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

12. **कठिनाईयों का निराकरण–** इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में कॉउसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।

13. **संशोधन–** छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

14. **निर्वचन–** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

15. **निरसन एवं व्यावृत्ति–** इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

परंतु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूव इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.— The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission in the institutions of Chhattisgarh for Master of Technology (M. Tech.) Program of the institutions of Chhattisgarh, namely:–

1. **Short title and extent.** -

(1) These rules may be called "Admission Rulesfor Master of Technology (M.Tech.)Program for institutions of Chhattisgarh, 2023".

(2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:

(1) 'Chhattisgarh' means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01-11-2000 due to the notification of the Central Government;

(2) 'AICTE' means the All-India Council for Technical Education, New Delhi;

(3) 'Candidate' means a person, who is willing to take admission as per theserules and who has made an application for the same under these rules;

(4) 'Private Institution' means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;

(5) 'G.A.T.E' means Graduate Aptitude Test in Engineering, National Level commonentrance test conducted by Indian Institutes of Technology (IITs) forthe purpose of determining merit list for admission to M. Tech. program

(6) 'Sponsored Candidate'means a person, who is willing to take admission as per these rules; and is employed as full time or on contract basis for a minimum periodof twoyears in State Government/ Central Government/Registered Company/Institution and who is permitted by such employer/authorized competent officer for taking admission and studying inthis full-time course;

(7) 'Counselling Committee' means the committeeformedby the State Government forconducting counselling work for admission in various programs and to takedecisionson admission-related issues.

3. **Reservations for Admission.** - The reservations for admission to the M. Tech. program shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh, as per the law at the time of admission to this program.

4. **Educational Qualification for Admission.** –Passed Four-year Bachelor's Degree (B.E./B.Tech.) in the relevant branch of engineering from a recognized University/ Institution or equivalent degree with at least 50 percent marks for unreserved category candidates and 45 percent marks for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Persons with Disability of Chhattisgarh. Relevant/appropriate degree level program for the purpose of admission in M.Tech. program shall be as per the AICTE.

5. **Sponsored Quota in seats for admission.** –There shall be 25 percent seats for sponsored candidates. Only sponsored candidates shall take admission under sponsored quota. Entrance examination is not required for admission under this quota.

6. **Merit Lists.** -

(1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules -

(a) G.A.T.E. Merit List – This merit list shall be prepared in the descending order of the percentage of marks obtained in G.A.T.E.

(b) Qualifying Examination Merit List – This merit list shall be prepared in descending order of percentage of total marks of the final year of the qualifying examination.

(2) Among the candidates obtaining the same percent of marks, the candidates older in age shall be placed higher in the merit list.

7. **Counselling.** – Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counseling committee shall be constituted by the government for counselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.

8. **Order of seat allotment.** –The allotment of seats for admission to the M.Tech. program shall be done first to the candidates domicile of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that, if seats are leftvacant, their allotment shall be done to the candidates from outside the state of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

9. **Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.**-

(1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shallhave to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.

(2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.

10. **Last date of Admission.** - The date fixed by AICTE for admission shall be considered as the last date for admission.

11. **Cancellation of Admission.** -If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/ incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.

12. **Removal of Difficulties.** - In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counselling committee shall be final.

13. **Amendment.** - State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/ procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.

14. **Interpretation.** - If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.

15. **Repeal and Savings.** - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.

आटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ–9–5/2023/तक.शि/42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ की पॉलीटेक्निक संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार–**

(1) यह नियम "छत्तीसगढ़ की पॉलीटेक्निक संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम–2023" कहलायेंगे।

(2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषायें–** इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा —

(1) 'छत्तीसगढ़' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन को अधिसूचना के कारण दिनांक 01–11–2000 को अस्तित्व में आया ।

(2) 'अभातशिप' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।

(3) 'अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।

(4) 'अल्पसंख्यक संस्था' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।

(5) 'निजी संस्था' से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।

(6) 'पीपीटी' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट।

(7) 'डिप्लोमा इंजीनियरिंग' से अभिप्रेत है, इंजीनियरिंग में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित समस्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी पाठ्यक्रम।

(8) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेष हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

(9) माओवाद प्रभावित जिलों से अभिप्रेत है, सरगुजा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोरिया, जशपुर, सुकमा, रामानुजगंज, कोंडागांव, सूरजपुर, दंतेवाडा जिले, एवं गैर माओवाद प्रभावित जिलों से अभिप्रेत है माओवाद प्रभावित जिलों को छोडकर छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिले।

3. **प्रवेश हेतु आरक्षण–** डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रावधान, इन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. **प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता–**

(1) डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा ऑर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित एवं विज्ञान विषय के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) डिप्लोमा कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग तथा डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।

(3) डिप्लोमा मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट तथा डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एवं केटरिंग टेक्नालॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।

(4) डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा अभातशिप द्वारा निर्धारित विषयों के साथ उत्तीर्ण।

अथवा

डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण एवं 2 वर्षीय आई.टी.आई. प्रमाण–पत्र (NCVT/SCVT) से जारीह्व परीक्षा उत्तीर्ण।

5. **प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा –**

(1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेन्ट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

(2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

6. **प्रावीण्यता सूचियॉं–**

(1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावीण्यता सूचियां बनाई जायेंगी –

(क) पीपीटी प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची पीपीटी में प्राप्तांकों के घटते कम में बनाई जायेगी।

(ख) कक्षा 10वीं (गणित एवं विज्ञान विषय) प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची, सरगुजा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोरिया, जशपुर, सुकमा, रामानुजगंज, कोंडागांव, सूरजपुर एवं दंतेवाडा जिलों के अभ्यर्थियों के लिये कक्षा 10वीं में गणित एवं विज्ञान विषय के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बनाई जायेगी।

(ग) कक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची, कक्षा 10वीं परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर घटते कम में बनाई जायेगी।

(घ) कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची, कक्षा 12वीं परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर घटते कम में बनाई जायेगी।

(ङ) लेटरल एण्ट्री प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची, जो अभ्यर्थी आई टी आई के आधार पर प्रवेश चाहते हैं, उनके आई टी आई के प्राप्तांकों का प्रतिशत एवं जो अभ्यर्थी कक्षा 12वीं के आधार पर प्रवेश चाहते हैं उनके कक्षा 12वीं के प्राप्तांकों का प्रतिशत घटते कम में रखकर बनाई जायेगी ।

(2) समान प्राप्तांक, प्रतिषत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा ।

7. **काउंसिलिंग–** सीटों के आबंटन हेतु काउंसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा कॉउसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। कॉउसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैर वापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।

8. **सीट आबंटन का क्रम –**

(1) डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा ऑर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु –

(अ) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु –

(क) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटी प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्ही जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के अनुसार आबंटन के बाद माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटे खाली बच जाने पर बची हुई सीटों का आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में दी गयी कक्षा 10वीं (गणित एवं विज्ञान विषय) प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्ही जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(ग) खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) के अनुसार आबंटन के बाद माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटे खाली बच जाने पर बची हुई सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटी प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्ही जिलों से संबंधित संभाग के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा एवं इसके बाद भी यदि सीटें बची रह जाती है तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में दी गयी कक्षा 10वीं (गणित एवं विज्ञान विषय) प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्ही जिलों से संबंधित संभाग के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(घ) खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार आबंटन के बाद यदि इन माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटी प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटी प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(ब) गैर–माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु –

गैर माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पालीटेक्निक संस्थाओं की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटी प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में दी गयी पीपीटी प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा ।

(2) कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग तथा इंटीरियर डेकोरेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु –

(अ) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु–

(क) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में दी गयी कक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्ही जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, एवं इन जिलों के अभ्यर्थी शेष न रह जाने पर बची हुई सीटों का आबंटन इन्ही जिलों से संबंधित संभाग के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) अनुसार आबंटन के बाद यदि इन जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में दी गयीकक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में दी गयी कक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(ब) गैर–माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु –

गैर माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पालीटेक्निक संस्थाओं की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में दी गयी कक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं तो

उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में दी गयी कक्षा 10वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(3) मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट तथा होटल मैनेजमेंट एवं केटरिंग टेक्नालॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु –

(अ) माओवाद प्रभावित जिलो में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु–

(क) माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वी प्रावीण्यता सूची में शामिल इन्ही जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, एवं इन जिलों के अभ्यर्थी शेष न रह जाने पर बची हुई सीटों का आबंटन इन्ही जिलों से संबंधित संभाग के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) अनुसार आबंटन के बाद यदि इन जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों की सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(ब) गैर–माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु –

गैर माओवाद प्रभावित जिलों में स्थित पालीटेक्निक संस्थाओं की सीटों का आबंटन सर्वप्रथम नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में दी गयी कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

(4) डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु –

डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ङ) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका आबंटन नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ङ) की प्रावीण्यता सूची में शामिल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किया जायेगा।

9. **दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश –**

(1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।

(2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

10. **प्रवेश की अंतिम तिथि–** अभातशिप द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।

11. **प्रवेश रद्द करना–** यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

12. **कठिनाईयों का निराकरण–** इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में कॉउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।

13. **संशोधन–** छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

14. **निर्वचन–** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

15. **निरसन एवं व्यावृत्ति–** इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

परंतु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूर्व इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.— The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission to Diploma Programs for Polytechnic institutions of Chhattisgarh, namely:

1. **Short title and extent.** -

(1) These rules may be called "Admission Rules for Diploma Programs for Polytechnic Institutions of Chhattisgarh, 2023".

(2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:

(1) "Chhattisgarh" means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01-11-2000 due to the notification of the Central Government;

(2) "AICTE" means the All India Council for Technical Education, New Delhi;

(3) "Candidate" means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;

(4) "Minority Institution' means such institution, which has been notified as a minority Educational Institution by the Government of Chhattisgarh;

(5) "Private Institution" means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;

(6) "PPT" means the Pre Polytechnic Test, State Level Common Entrance Test, conducted by the Chhattisgarh Professional Examination Board, Nava Raipur, Atal Nagar for the purpose of determining the merit list for admission to the Diploma Engineering programs;

(7) "Diploma Engineering" means all diploma level technical programs in Engineering approved by All India Council for Technical Education, New Delhi;

(8) "Counselling Committee" means the committee formed by the State Government for conducting counselling work for admission to various programs and to take decisions on admission-related issues;

(9) "Left Wing Extremism (LWE) affected districts" means Surguja, Bastar, Bijapur, Narayanpur, Kanker, Koriya, Jashpur, Sukma, Ramanujganj,Kondagaon, Surajpur, Dantewada districts, and Non-Left Wing Extremism affected districtsmeans otherdistricts of Chhattisgarh State excluding Left Wing Extremism (LWE) affected districts.

3. **Reservations for Admission.** - The reservations for admission to the diploma programs shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh as per the law at the time of admission to these programs.

4. **Educational Qualification for Admission.** –

(1) For admission to Diploma in Engineering and Diploma in Architecture programs: Passed 10thclass examination with Mathematics and Science as subjects from recognized board under (10+2) education system.

(2) For admission to Diploma in Costume Design and Dress Making and Diploma in Interior Decoration programs - Passed class 10thexamination from recognized board under (10+2) education system.

(3) For admission to Diploma in Modern Office Management and Diploma in Hotel Management and Catering Technology programs - Passed class 12th examination from recognized board under (10+2) education system.

(4) For admission to Diploma in Engineering (Lateral Entry 2nd Year) - Passed class 12th examination from recognized board under (10+2) education system with subjects prescribed by AICTE.

Or

For admission to Diploma in Engineering (Lateral Entry 2nd Year) Passed class 10th examination from recognized board under (10+2) education system and passed 2 years I.T.I. Certificate (issued from NCVT/SCVT) Examination.

5. Management and Minority quota in seats for admission. -

(1) There shall be 15 percent seats under management quota in private institutions.

(2) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in private institutions which are declared Minority Institutions by the Scheduled Tribal and Scheduled Caste Development Department of Government of Chhattisgarh.

6. Merit Lists. -

(1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules -

(a) PPT Merit List - This merit list shall be prepared in descending order of marks obtained in PPT.

(b) Class 10th (Mathematics and Science subject) Merit List – This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of marks obtained in Mathematics and Science subject of class10th for the candidates of Sarguja, Bastar, Bijapur, Narayanpur, Kanker, Koriya, Jashpur, Sukma, Ramanujganj, Kondagaon, Surajpur and Dantewada districts.

(c) Class 10th Merit List - This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of marks obtained in class 10th examination.

(d) Class 12thMerit List – This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of marks obtained in class 12th examination.

(e) Lateral Entry Merit List –This merit list shall be preparedin descending order on the basis of percentage of I.T.I. marks of the candidates who want to get admission on the basis of I.T.I., and on the basis of percentage of marks of class 12th examination of the candidates who want to get admission on the basis of class 12th.

(2) Among the candidates who obtain the same marks, percentage, the candidates who are older in age shall be placed higher in the merit list.

7. Counselling.- Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counselling committee shall be constituted by the government for counselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.

8. Order of seat allotment. –

(1) For admission to Diploma in Engineering and Diploma in Architecture programs-

(A) For Polytechnic Institutions situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts –

(a) Allotment of seats in Polytechnic Institutes situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domicile of these districts who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

(b) After the allotment as per Clause (a), if the seats are left vacant in the Polytechnic institutes situated in the Left Wing Extremism (LWE) affected districts, allotment of the remaining seats shall be doneto thecandidates domiciles of the sedistricts who are

listed in the class 10th(Mathematics and Science subjects) Merit Listgiven in Clause (b) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

(c) After allotment as per Clause (a) and Clause (b), if the seats of Polytechnicinstitutes situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts are left vacant, the allotment of the remaining seats shall be done firstto the candidates domicile of the divisions related to these districts who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6 and even after this, if the seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates domiciles of the division related to these districts who are listed in the Class 10th (Mathematics and Science subjects) Merit List given in Clause (b) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

(d) After allotment as per Clauses (a), (b) and (c), if the seats are left vacant in the Polytechnic institutes situated in the Left Wing Extremism (LWE) affected districts, then their allotment shall be done to the candidates domiciles of other districts ofChhattisgarh State who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6. Even after this, if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

(B) For Polytechnic institutions situatedin Non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts –

Allotment of seats in Polytechnic institutions situated in non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domicile of Chhattisgarh State who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, then they shall be allotted to candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the PPT Merit List given in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

(2) For admission to Costume Design and Dress Making and Interior Decoration programs–

(A) For Polytechnic Institutions situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts –

(a) Allotment of seats in Polytechnic institutes situated in Left WingExtremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domiciles of these districts who are listed in the class 10thMerit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and if there is no remaining candidate of these districts, the remaining seats shall be allotted to the candidates domiciles of the division related to these districts.

(b) After allotment as per Clause (a), if seats in the Polytechnic institutes situated in these districts are left vacant, then their allotment shall be doneto the candidates domiciles of other districts of the State of Chhattisgarh who are listed in the class 10thMerit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6and even after this, if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the class 10thMerit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

(B) For Polytechnic Institutions situated in Non-Left Wing Extremism(LWE) affected districts –

Allotment of seats in Polytechnic institutions situated in non-Left Wing Extremism (LWE)affected districts shall be done first to the candidates domicile of Chhattisgarh State who are listed in class 10thMerit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even after that if the seats are left vacant, they shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the class 10thMerit List given in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

(3) For admission to Modern Office Management and Hotel Management and CateringTechnology programs–

(A) For Polytechnic institutions situatedin Left Wing Extremism (LWE) affected districts-

(a) Allotment of seats in Polytechnic institutes situated in Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidates domiciles of these districts who are listed in the class 12th Merit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and

if there is no remaining candidate of these districts, the remaining seats shall be allotted to the candidates domiciles of the division related to these districts.

(b) After allotment as per Clause (a), if seats in the Polytechnic institutes situated in these districts are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates domiciles of other districts of the State of Chhattisgarh who are listed in the class 12thMerit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6and even after this, if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside of the State of Chhattisgarh who are listed in the class 12thMerit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

(B) For Polytechnic institutions situated in non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts

Allotment of seats in polytechnic institutions situated in non-Left Wing Extremism (LWE) affected districts shall be done first to the candidatesdomicile of Chhattisgarh State who are listed in class 12thMerit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, they shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the class 12thMerit List given in Clause (d) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

(4) For admission to Diploma Engineering (Lateral Entry Second Year) programs.-

Allotment of seats for admission to Diploma Engineering (Lateral Entry Second Year) programs shall be done first to the candidates domicile of Chhattisgarh State who are listedin the Merit list of Clause (e) of Sub-Rule(1) of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, then they shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh who are listed in the Merit List of Clause (e) of Sub-Rule (1) of Rule 6.

9. Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.-

(1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.

(2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.

10. Last date of Admission.- The date fixed by AICTE for admission shall be considered as the last date for admission.

11. Cancellation of Admission.- If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.

12. Removal of Difficulties. - In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counseling committee shall be final.

13. Amendment.-State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.

14. Interpretation. - If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.

15. Repeal and Savings. - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Deputy Secretary.

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक.शि./42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ संस्थाओं के बैचलर ऑफ फॉर्मेसी (बी.फॉर्मेसी) एवं डिप्लोमा फॉर्मेसी (डी.फॉर्मेसी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् –

1 संक्षिप्त नाम एवं विस्तार—

(1) यह नियम "छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के बैचलर ऑफ फॉर्मेसी (बी.फॉर्मेसी) एवं डिप्लोमा फॉर्मेसी (डी.फॉर्मेसी) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम, 2023" कहलायेंगे।

(2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषायें—** इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा –

(1) 'छत्तीसगढ़' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01–11–2000 को अस्तित्व में आया ।

(2) 'पीसीआई' से अभिप्रेत है, फार्मेसी कॉउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।

(3) 'संचालक' से अभिप्रेत है, संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर।

(4) 'अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।

(5) 'अल्पसंख्यक संस्था' से अभिप्रेत है,ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।

(6) 'निजी संस्था' से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।

(7) 'पीपीएचटी' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा बी.फार्मेसी एवं डी.फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री फार्मेसी टेस्ट।

(8) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

3. **प्रवेश हेतु आरक्षण—** बैचलर ऑफ फॉर्मेसी एवं डिप्लोमा फॉर्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रावधान, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. **प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता—**

(1) चार वर्षीय बी.फार्मेसी के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी विषय के साथ इन तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण। तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैध्दांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। बी.फार्मेसी में प्रवेश के लिए कक्षा 12वीं में एक विषय अंग्रेजी होना अनिवार्य है।

(2) द्विवर्षीय डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी विषय के साथ इन तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण।

तीनों मुख्य विषयों में संबधित बोर्ड के नियमानुसार (सैध्दांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है।

(3) बैचलर आफ फॉर्मेसी (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था से फार्मेसी में द्विवर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा उपाधिधारी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण।

5. **प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा –**

(1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेन्ट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

(2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

6. **प्रावीण्यता सूचियाँ–**

(1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावीण्यता सूचियां बनाई जायेंगी –

(क) पीपीएचटी प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची पीपीएचटी में प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते कम में बनाई जायेगी।

(ख) कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची 12वीं की परीक्षा में अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी के कुल प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बनाई जायेगी।

(ग) लेटरल एण्ट्री प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची डिप्लोमा फार्मेसी परीक्षा के अंतिम वर्ष के कुल प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बनाई जायेगी।

(2) समान प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

7. **काउंसिलिंग–** सीटों के आबंटन हेतु काउसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा कॉउसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। कॉउसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैर वापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।

8. **सीट आबंटन का क्रम–**

(1) बी. फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु– बी.फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेष हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

(2) डी. फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु –

(अ) डी. फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

(ब) खण्ड (अ) अनुसार सीटें आवंटित करने के पश्चात बची हुई सीटों का आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

(3) बी. फार्मेसी (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु– बी. फार्मेसी (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ग) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ग) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

9. **दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश–**

(1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।

(2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

10. **प्रवेश की अंतिम तिथि–** पीसीआई/संचालक द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।

11. **प्रवेश रद्द करना–** यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

12. **कठिनाईयों का निराकरण–** इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में कॉउसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।

13. **संशोधन–** छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

14. **निर्वचन–** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

15. **निरसन एवं व्यावृत्ति** – इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.— The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission inthe institutions of Chhattisgarh for Bachelor of Pharmacy (B.Pharmacy) and Diploma in Pharmacy (D.Pharmacy) programs, namely:—

1. **Short title and extent. -**

(1) These rules may be called "Admission Rules for Bachelor of Pharmacy (B.Pharmacy) and Diploma in Pharmacy (D.Pharmacy) programs for Institutions of Chhattisgarh, 2023".

(2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:

(1) 'Chhattisgarh'means the State of Chhattisgarh, which came into existence on01-11-2000 due to the notification of the Central Government;

(2) 'PCI'means the Pharmacy Council of India, New Delhi;

(3) 'Director'means the Director, Technical Education, Chhattisgarh, Nava Raipur, Atal Nagar;

(4) 'Candidate' means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;

(5) 'Minority Institution' means such institution, which has been notified as a minority Educational Institution by the Government of Chhattisgarh;

(6) 'Private Institution' means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;

(7) 'PPHT' means the Pre-Pharmacy Test, the State Level Common Entrance Examination,conducted by Chhattisgarh Professional Examination Board, Nava Raipur, Atal Nagar,for the purpose of determining the merit for admission to B.Pharmacy and D.Pharmacy programs;

(8) 'Counselling Committee' means the committee formed by the State Government for conducting counselling work for admission to various programs and to take decisions on admission-related issues.

3. **Reservations for Admission.** - The reservations for admission to the Bachelor of Pharmacy (B.Pharmacy) and Diploma in Pharmacy (D.Pharmacy) programsshall be asper the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh asper the law at the time of admission to this program.

4. **Educational Qualification for Admission. –**

(1) For admission to the four-year B.Pharmacy degree program-passed the class 12thexamination under the (10+2) education system, from a recognized board with Physics, Chemistry, and Mathematics/Biotechnology/Biology subjects as compulsory three subjects, with at least 45% marks in these three main subjects for candidates belonging to unreserved category,and 40% marks for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disability of Chhattisgarh. It is also mandatory to pass all three main subjects separately (in theory and practical question papers) as per the rules of the concerned board. For admission toB. Pharmacy, it is mandatory to have English as one of the subjects in class 12th.

(2) For admission to two-year Diploma in Pharmacy program-passed the class 12th examination under the (10+2) education system, from a recognized board with Physics, Chemistry, and Mathematics/ Biotechnology/ Biology as compulsory three subjects, with at least 45% marks in these three main subjects for candidates belonging to unreserved category, and 40% marks for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disability of Chhattisgarh. It is also mandatory to pass all three main subjects separately (in theory and practical question papers) as per the rules of the concerned board.

(3) For admission to Bachelor of Pharmacy (Lateral Entry Second Year)-passed two years Diploma in Pharmacy from a recognized Board/University/Institution with at least 45% marks for unreserved category,and 40% marks for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes,Other Backward Classes and Persons with disability of Chhattisgarh.

5. **Management and Minority quota in seats for admission.** -

(1) There shall be 15 percent seats under management quota in private institutions.

(2) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in private institutions which are declared Minority Institutions by the Scheduled Tribal andScheduled Caste Development Department of Government of Chhattisgarh.

6. **Merit Lists.** -

(1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules -

(a) PPHT Merit List – This merit list shall be prepared in descending order of the percentageof marks scored in PPHT.

(b) Class 12th Merit List– This merit list shall be prepared in descending order on thebasis of the percentage of aggregate marks in Physics, Chemistry and Mathematics/Biotechnology/Biology as compulsory three subjects in 12th examination.

(c) Lateral Entry Merit List – This merit list shall be prepared in descending order on the basisof percentage of total marks obtained in the final year of Diploma in Pharmacy examination.

(2) Among the candidates who obtain the same percentage of marks, the candidates whoare older in age shall be placed higher in the merit list.

7. **Counselling.**- Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counselling committee shall be constituted by the government for counselling work.The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.

8. **Order of seat allotment.–**

(1) For admission to B.Pharmacy Program- Allotment of seats for admission to the B.Pharmacy programshall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule1 of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

(2) For admission to D. Pharmacy Program–

(A) Allotment of seats for admission tothe D. Pharmacy Programshall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (a) ofSub-Rule 1 of Rule 6, and even after that, if seats are left vacant, theirallotment shall be done to the candidates who are domicile of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

(B) After allotmentof the seats as per Clause (A), the remaining seats shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh as per the merit list in Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that, if the seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

(3) For admission toB. Pharmacy (Lateral Entry 2ndyear) Program- Allotmentofseats for admission to B. Pharmacy (Lateral Entry Second Year) programshall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (c) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that if seats are left vacant,then their allotmentshall be done to the candidates from 0utside the State of Chhattisgarh according to themerit list of Clause (c) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

9. **Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.-**

(1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and gethis/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.

(2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.

10. **Last date of Admission.**- The date fixed by PCI/Director for admission shall be considered as the last date for admission.

11. **Cancellation of Admission.**- If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.

12. **Removal of Difficulties.** - In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counselling committee shall be final.

13. **Amendment.**- State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.

14. **Interpretation.** - If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.

15. **Repeal and Savings.** - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ–9–8/2023/तक.शि/42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतदद्वारा छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार–**

(1) यह नियम "छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम–2023" कहलायेंगे।

(2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषायें**–इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा–

(1) 'छत्तीसगढ़' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य,जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01–11–2000 को अस्तित्व में आया ।

(2) 'अभातशिप' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।

(3) 'अभ्यर्थी'से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंर्तगत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।

(4) 'अल्पसंख्यक संस्था' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।

(5) 'निजी संस्था' से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।

(6) 'प्री–एम.सी.ए.'से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, अटल नगर, रायपुर द्वारा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्रीमास्टर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट।

(7) 'निमसेट'से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं द्वारा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा, एनआईटी एम.सी.ए. कॉमनइंट्रेन्स टेस्ट।

(8) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत ह, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

3. **प्रवेश हेतु आरक्षण**–एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण क प्रावधान, इन पाठ्यक्रम मे प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. **प्रवेश हेतु शैक्षणिक अहता**–(10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा में गणित विषय के साथ अथवा स्नातकस्तरपर गणित विषय के साथमान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से बी.ई./बी.टक./बीएससी/बी. कॉम/बीए/बी.वोकेशनल/बी.सी.ए.संकाय/विषय में स्नातकउपाधि अनारक्षितवर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचितजाति, अनुसूचितजनजाति, अन्य पिछड़ावर्गतथा निःशक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण।गणित से संबंधित गणित के अन्य विषय जैसे :–बिजनेस गणित, बेसिक गणित आदिमान्य नहीं किये जायेंगे। तथापि गणित के उच्च विषय जैसे उच्च गणित मान्य किये जायेंगे।

5. **प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा–**

(1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेन्ट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

(2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

6. **प्रावीण्यता सूचियाँ–**

(1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेत निम्न लिखित प्रावीण्यता सूचियां बनाई जायेंगी–

(क) प्री–एम.सी.ए.प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची प्री–एम.सी.ए.में प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।

(ख) निमसेट प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची निमसेट में प्राप्तांकों प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।

(2) समान प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

7. **काउंसिलिंग–** सीटों के आबंटन हेतु काउसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा कॉउसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। कॉउसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैरवापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।

8. **सीट आबंटन का क्रम–**

(1) एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

(2) उप नियम (1) अनुसार सीटें आबंटित करने के पश्चात बची हुई सीटों का आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

9. **दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश–**

(1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।

(2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

10. **प्रवेश की अंतिम तिथि–**अभातशिप द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।

11. **प्रवेश रद्द करना–** यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

12. **कठिनाईयों का निराकरण–** इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में कॉउसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।

13. **संशोधन–**छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

14. **निर्वचन–** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

15. **निरसन एवं व्यावृत्ति –** इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.— The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission in the institutions of Chhattisgarh for Master of Computer Application (M.C.A.) program, namely:

1. **Short title and extent.** -

(1) These rules may be called "Admission Rulesfor Master of Computer Application(M.C.A.) ProgramforInstitutions of Chhattisgarh-2023".

(2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:

(1) 'Chhattisgarh' means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01-11-2000 due to the notification of the Central Government;

(2) 'AICTE' means the All India Council for Technical Education, New Delhi;

(3) 'Candidate' means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;

(4) 'Minority Institution' means such institution, which has been notified as a minority Educational Institution by the Government of Chhattisgarh;

(5) 'Private Institution' means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;

(6) 'Pre-M.C.A.' means the Pre-Master in Computer Application Test, the State LevelCommon Entrance Test, conducted by the Chhattisgarh Professional Examination Board, Atal Nagar, Raipur for the purpose of determining the merit list for admission to the M.C.A. program;

(7) 'NIMSET' means the NIT M.C.A. Common Entrance Test,All India level entrance examination, conducted by National Institutes of Technology for the purpose of determining the merit list for admission to the M.C.A. program;

(8) 'Counselling Committee' means the committee formed by the State Government for conducting counselling work for admission to various programs and to take decisionson admission-relatedissues.

3. **Reservations for Admission.** - The reservations for admission to the M.C.A. program shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh as per the law at the time of admission to this program.

4. **Educational Qualification for Admission.** -Passed 12th Examination under (10+2) education system with Mathematics subject or Passed Bachelor's degree with Mathematics subject at Graduation level in BE/B.Tech./B.Sc/B.Com/BA/B.Vocational/B.C.AFaculty/Subject from a recognized University/Institutionwith at least 50% marks for unreserved category and 45% marks for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Persons with Disability of Chhattisgarh. Allied subjects related to Mathematics like:- Business Mathematics, Basic Mathematics etc. are not acceptable. However, higher subject of Mathematics like Higher Mathematics is acceptable.

5. **Management and Minority quota in seats for admission.** -

(1) There shall be 15 percent seats under management quota in private institutions.

(2) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in private institutions whichare declared Minority Institutions by the Scheduled Tribal and Scheduled Caste Development Department of Government of Chhattisgarh.

6. **Merit Lists.** -

(1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules.-

(a) Pre-M.C.A. Merit List -This merit list shall be prepared in descending order of the percentage of marks scored in Pre-M.C.A.

(b) NIMSET Merit list – This merit list shall be prepared in descendingorder of percentage of marks scored in NIMSET.

(2) Among the candidates who obtain the same percentage of marks, the candidates whoare older in age shall be placed higher in the merit list.

7. **Counselling.**-Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counselling committee shall be constituted by the government for counselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.

8. **Order of seat allotment.–**

(1) Allotment of seats for admission to the M.C.A. programshall be done first to the candidateswho are domicile of Chhattisgarh,accordingto the merit list of Clause (a) of Sub Rule 1 of Rule 6 and even after that, if seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates who are domicile of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

(2) After allotting the seats as per Sub-Rule (1), the remaining seats shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh as per the merit list in Clause (a) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even thereafter if the seats are left vacant, thentheir allotment shallbe done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the meritlist of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

9. **Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.-**

(1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.

(2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.

10. **Last date of Admission.**- The date fixed by AICTE for admission shall be considered as the last date for admission.

11. **Cancellation of Admission.**-If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.

12. **Removal of Difficulties.** - In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counselling committee shall be final.

13. **Amendment.**- State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.

14. **Interpretation.** - If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.

15. **Repeal and Savings.** - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ–9–5/2023/तक.शि/42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी (बी.टेक.) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार–**

(1) यह नियम "छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी (बी.टेक.) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम–2023" कहलायेंगे।

(2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषायें** –इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा –

(1) 'छत्तीसगढ़' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01–11–2000 को अस्तित्व में आया ।

(2) 'अभातशिप' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।

(3) 'अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।

(4) 'अल्पसंख्यक संस्था' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।

(5) 'निजी संस्था' से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।

(6) 'पीईटी' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, अटल नगर, रायपुर द्वारा बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट।

(7) 'जेईई (मेन)' से अभिप्रेत है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, ज्वाइंट इंट्रेन्स एक्जामिनेशन।

(8) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

3. **प्रवेश हेतु आरक्षण** – बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रावधान, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. **प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता–**

(1) बी.टेक. के प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा, अभातशिप द्वारा निर्धारित तीन मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैध्दांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है।

अथवा

बी.टेक. के प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेष हेतु अभ्यर्थी को डिप्लोमा वोकेशनल मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से अभातशिप द्वारा निर्धारित उसी या संबद्ध विषय क्षेत्र में उत्तीर्ण।

(2) बी.टेक. (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलाजी की किसी भी शाखा में त्रिवर्षीय डिप्लोमा/द्विवर्षीय डिप्लोमा (लेटरल एण्ट्री) परीक्षा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण।

अथवा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.एस.सी. परीक्षा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त 12 वीं कक्षा में गणित विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

5. **प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा –**

(1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेन्ट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

(2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

6. **प्रावीण्यता सूचियाँ–**

(1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावीण्यता सूचियां बनाई जायेंगी –

(क) पीईटी प्रावीण्यता सूची – यह प्रावीण्यता सूची पीईटी में प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते कम में बनाई जायेगी।

(ख) जेईई (मेन) प्रावीण्यता सूची– यह प्रावीण्यता सूची जेईई (मेन) में प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते कम में बनाई जायेगी।

(ग) डिप्लोमा प्रावीण्यता सूची – यह प्रावीण्यता सूची डिप्लोमा इंजीनियरिंग परीक्षा के अंतिम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते कम में बनाई जायेगी।

(घ) बी.एस.सी. प्रावीण्यता सूची – यह प्रावीण्यता सूची बी.एस.सी. परीक्षा के अंतिम वर्ष के कुल प्राप्तांको के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।

(2) समान प्राप्तांक प्रतिषत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची म ऊपर रखा जायेगा।

7. **काउंसिलिंग–** सीटों के आबंटन हेतु काउंसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा कॉउसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। कॉउसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैर वापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।

8. **सीट आबंटन का क्रम –**

(1) बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु –

(अ) बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेष हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

(ब) खण्ड (अ) अनुसार सीटें आबंटित करने के पश्चात बची हुई सीटों का आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

(2) बी.टेक. (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु –

(अ) बी.टेक. (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ग) की प्रावीण्यता सूची क अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (घ) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

(ब) खण्ड (अ) अनुसार सीटें आबंटित करने के पश्चात बची हुई सीटों का आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ग) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (घ) की पावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

9. **दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश–**

(1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आवंटन प्रविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।

(2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

10. **प्रवेश की अंतिम तिथि–** अभातशिप द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।

11. **प्रवेश रद्द करना–** यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

12. **कठिनाईयों का निराकरण–** इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में कॉउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।

13. **संशोधन–** छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

14. **निर्वचन–** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

15. **निरसन एवं व्यावृत्ति–** इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

परतु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूर्व इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.— The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission in the institutions of Chhattisgarh for the Bachelor of Technology (B.Tech.) program, namely:-

1. **Short title and extent.** -

(1) These rules may be called "Admission Rules for the Bachelor of Technology (B.Tech.) Program for the Institutions of Chhattisgarh, 2023".

(2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:

(1) 'Chhattisgarh' means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01-11-2000 due to the notification of the Central Government;

(2) 'AICTE' means the All India Council for Technical Education, New Delhi;

(3) 'Candidate' means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;

(4) 'Minority Institution' means such institution, which has been notified as a minority Educational Institution by the Government of Chhattisgarh;

(5) 'Private Institution' means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind offinancial aid or grant-in-aid;

(6) 'PET' means the Pre-Engineering Test, State Level Common Entrance Examination, conducted by Chhattisgarh Professional Examination Board, Atal Nagar, Raipur for the purpose of determining the merit for admission to the B.Tech.Program;

(7) 'JEE (Main)'means Joint Entrance Examination,All India level Common Entrance Examination, conducted by the National Testing Agency, New Delhifor the purpose of determining the merit for admission to the B.Tech. Program;

(8) 'Counselling Committee' means the committee, formed by the StateGovernment forconducting counselling work for admission to various programs and to take decisionson admission-related issues.

3. **Reservations for Admission.** - The reservations for admission to the B.Tech. program shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh as per the law at the time of admission to this program.

4. **Educational Qualification for Admission. –**

(1) For admission to B.Tech. program- Passed 12th examination under (10+2) education system from the recognized board with at least 45% marks for unreserved category and 40% marks for candidates of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and persons with Disability, in three main subjects prescribed by the AICTE. It is also mandatory to pass separately in all three main subjects (in theory and practical question papers) as per the rules of the concerned board.

Or

For admission to B.Tech. program, the candidate should havepassed Diploma Vocationalfrom a recognized Board/University in the same or allied subject area prescribedbyAICTE.

(2) For admission to B.Tech. (Lateral Entry Second Year) program-Passed Three-year Diploma/Two-year Diploma (Lateral Entry) Examination in any branch of Engineering and Technology from a recognized Board/University/Institute with at least 45% marksfor unreserved category and 40% marks for candidates of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OtherBackward Classes, and persons with Disability.

Or

Passed Bachelor of Science (B.Sc.) Examination from a recognized University/Institute, with at least 45% marksfor the unreserved category and 40 % marks for candidates of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes,Other Backward Classes and Persons with Disability. Apartfrom this, it ismandatory to pass in Mathematics in class 12th examination.

5. **Management and Minority quota in seats for admission.** -

(1) There shall be 15 percent seats under management quota in private institutions.

(2) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in private institutions, which are declared Minority Institutions by the Scheduled Tribal and Scheduled Caste Development Department of Government of Chhattisgarh.

6. **Merit Lists.** -

(1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules -

(a) PET Merit List – This merit list shall be prepared in descending order of percentage of marks scored in PET.

(b) JEE (Main) Merit List – This merit list shall be prepared in descendingorder of percentage of marks scored in JEE (Main).

(c) Diploma Merit List – This merit list shall be prepared in descending order of percentage of total marks in the final year of Diploma in Engineering Examination.

(d) B.Sc. Merit List- This merit list shall be prepared in descendingorder of percentage of total marks in the final year of B.Sc. examination.

(2) Among the candidates who obtain the same percentage of marks, the candidates who are older in age shall be placed higher in the merit list.

7. **Counselling.**- Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counselling committee shall be constituted by the government for counselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.

8. Order of seat allotment.–

(1) For admission toB.Tech. program–

(A) For admission to the B.Tech. program allotment of seats shall be done firstto the candidates who are domicile of Chhattisgarh,according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after this, if seats are left vacant theirallotment shall be done to the candidates who are domicile of Chhattisgarh,according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

(B) After allotting the seats as per Clause (A), the remaining seats shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the meritlist of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that if seats are leftvacant,theirallotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

(2) For admission to B.Tech. (Lateral Entry Second Year) program

(A) For admission to B.Tech. (Lateral Entry Second Year) program, allotment of seats shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (c) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after this, if seats are left vacant, theirallotment shall be done to the candidates who are domicile of Chhattisgarh,according to the merit list of Clause (d) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

(B) After allotting the seats as per Clause (A), the remaining seats shall be allottedto the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even after that if the seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (d) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

9. Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.-

(1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.

(2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/heradmission shall be treated as cancelled.

10. Last date of Admission. - The date fixed by AICTE for admission shall be considered as the last date for admission.

11. Cancellation of Admission.- If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.

12. Removal of Difficulties. - In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counselling committee shall be final.

13. Amendment.– State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.

14. Interpretation. - If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.

15. Repeal and Savings. - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules:

Provided that any order made, or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174] रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 अप्रैल 2024 —— वैशाख 2, शक 1946

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 अप्रैल 2024

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक.शि./42— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ तकनीकी संस्थानों के मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) एवं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी.टेक.) पाठ्यक्रमों में विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 9-5/2023/तक.शि./42, दिनांक 11-05-2023 प्रवेश हेतु निम्नांकित संशोधन करता है, अर्थात्–

मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम-2003 में संशोधन–

क्र.	पूर्व में अधिसूचित प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	**4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता** – (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12 वीं कक्षा में गणित विषय के साथ अथवा स्नातक स्तर पर गणित विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से बी.ई./बी.टेक. /बीएससी /बी.कॉम/बीए/ बी.वोकेशनल/बी.सी.ए. / संकाय/विषय में स्नातक उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण। गणित से संबंधित गणित के अन्य विषय जैसे :– बिजनेस गणित, बेसिक गणित आदि मान्य नहीं किये जायेंगे। तथापि गणित के उच्च विषय जैसे उच्च गणित मान्य किये जायेंगे।	**4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता** – (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा मे गणित विषय के साथ अथवा स्नातक स्तर पर गणित विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से बी.ई./बी. टेक./बीएससी/बी.कॉम/ बीए/ बी.वोकेशनल /बी.सी.ए./ **अन्य** संकाय/ विषय में स्नातक उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण। गणित से संबंधित गणित के अन्य विषय जैसे :– बिजनेस गणित, बेसिक गणित आदि मान्य नहीं किये जायेंगे। तथापि गणित के उच्च विषय जैसे उच्च गणित मान्य किये जायेंगे।
	4. Educational Qualification for Admission. - Passed 12th Examination under (10+2) education system with Mathematics subject or Passed Bachelor's degree with Mathematics subject at Graduation level in BE/ B.Tech./ B.Sc/ B.Com/ BA/ B.Vocational / B.C.A Faculty/ Subject from a recognized University/ Institution with at least 50% marks for unreserved category and 45% marks for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Persons with Disability of Chhattisgarh. Allied subjects related to Mathematics like:- Business Mathematics, Basic Mathematics etc. are not acceptable. However, higher subject of Mathematics like Higher Mathematics is acceptable.	**4. Educational Qualification for Admission. -** Passed 12th Examination under (10+2) educationsystem with Mathematics subjector Passed Bachelor's degree with Mathematics subject at Graduation level in BE/ B.Tech./ .Sc/B.Com/BA/B.Vocational/ B.C.A/ **Any** Faculty/ Subject from a recognized University/ Institution with at least 50% marks for unreserved category and 45% marks for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Persons with Disability of Chhattisgarh. Allied subjects related to Mathematics like:- Business Mathematics, Basic Mathematics etc. are not acceptable. However, higher subject of Mathematics like Higher Mathematics is acceptable.

बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी(बी.टेक.) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम–2023 में संशोधन–

क्र		
	4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता– (2) बी.टेक. (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय / संस्थान से इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखा में त्रिवर्षीय डिप्लोमा/द्विवर्षीय डिप्लोमा (लेटरल एण्ट्री) परीक्षा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। अथवा मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय /संस्थान से बी.एस.सी. परीक्षा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ एवं छत्तीसगढ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त 12 वीं कक्षा में गणित विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।	**4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता–** (2) बी.टेक. (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखा में त्रिवर्षीय डिप्लोमा/द्विवर्षीय डिप्लोमा (लेटरल एण्ट्री) परीक्षा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से बी.एस.सी. परीक्षा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त 12 वीं कक्षा में गणित विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। **अथवा** **मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उसी अथवा संबंधित सेक्टर के बी.वॉक./3–वर्षीय डी.वॉक. पाठ्यकम उत्तीर्ण।**
	4 Educational Qualification for Admission. – (2) For admission to B.Tech. (Lateral Entry Second Year) program-Passed Three-year Diploma /Two-year Diploma (LateralEntry) Examination in any branch of Engineering and Technology from a recognized Board/ University/Institute with at least 45% marks for unreserved categoryand40% marks for candidates of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and persons with Disability. Or Passed Bachelor of Science (B.Sc.) Examination from a recognized University/ Institute, with at least 45% marks for the unreserved category and 40 % marks for candidates of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disability. Apart from this, it is mandatory to pass in Mathematics in class 12th examination.	**4 Educational Qualification for Admission. –** (2) For admission to B.Tech. (Lateral Entry Second Year) program- Passed Three-year Diploma/ Two-year Diploma (Lateral Entry) Examination in any branch of Engineering and Technology from a recognized Board/ University/ Institute with at least 45% marks for unreserved category and 40% marks for candidates of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and persons with Disability. Or Passed Bachelor of Science (B.Sc.) Examination from a recognized University/ Institute, with at least 45% marks for the unreserved category and 40 % marks for candidates of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disability. Apart from this, it is mandatory to pass in Mathematics in class 12th examination. Or **Passed B.Voc./ 3-Year D.Voc. Stream from recognized Board or University, in the same or allied Sector.**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव अहिरे, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2024.

संचालनालय, तक. शि.
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
7925 26 JUL 2023
AD (शैक्षी)

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर

क्रमांक एफ 9–10/2023/तक.शि/42 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25/07/2023

प्रति,

संचालक,
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,
छ0ग0।

विषयः– ऑनलाईन कॉउसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया 2023 का विस्तृत विवरण बाबत्।
संदर्भः– आपका जावक टीप क्रमांक 1513, दिनांक 29.05.2023

---0---

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव अनुसार ऑनलाईन कॉउसिलिंग हेतु प्रस्तावित प्रवेश प्रक्रिया 2023 एवं दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों (अभ्यर्थी सुविधा केन्द्रों) की सूची निम्नानुसार निर्धारित करने की अनुमति प्रदान की जाती हैः–

1. तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी, बैचलर ऑफ फॉर्मेसी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा फॉर्मेसी, डिप्लोमा मॉर्डन आफिस मैनेजमेंट (MOM), डिप्लोमा कास्ट्यूम डिजाइन एण्ड ड्रेस मेकिंग (CDDM), डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन (ID), डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी (HMCT), डिप्लोमा आर्किटेक्चर, एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.फॉर्मा, एम.टेक., बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेटरल एण्ट्री, बैचलर ऑफ फॉर्मेसी लेटरल एण्ट्री एवं डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एण्ट्री इत्यादि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम वेबसाइट- www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन कॉउसिलिंग की जायेगी एवं संबंधित तिथियॉं, उपलब्ध सीटों की जानकारी, सीटों के आबंटन की जानकारी, सूचनाएँ इत्यादि भी इसी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ऑनलाईन कॉउंसिलिंग संबंधित तिथियॉं राज्य/राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी।

2. इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी संस्थाओं के स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रत्येक अकादमिक सत्र में प्रथम वर्ष में स्वीकृत सीटों की 10 प्रतिशत सांख्येतर सीटों के साथ साथ प्रथम वर्ष में रिक्त रह गई सीटों पर लेटरल एण्ट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जा सकेगा।

3. ऑनलाइन कांउसिलिंग के दो मुख्य चरण होंगे, प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के पश्चात संस्था स्तर की कॉउसिलिंग का एक और चरण होगा। कांउसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस हेतु डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए रु. 200, स्नातक पाठ्यक्रम के लिए रु. 300 एवं स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम के लिए रु. 500 ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के मुख्य तीन भाग है, पंजीयन (Registration), शुल्क भुगतान (Fee Payment), और विकल्प भरना (Choice Filling)।

4. कॉउंसिलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा इंटरनेट सुविधा का उपयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

5. जो अभ्यर्थी व्यापमं की प्रवेश परीक्षाओं पीईटी, पीपीटी, पीपीएचटी एवं प्री-एम.सी.ए. के द्वारा कॉउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते है उन्हें व्यापमं के पोर्टल पर अपना आधार प्रमाणन कराना होगा, उसके उपरांत ही वे कॉउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग ले पावेंगे।

6. अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि आवेदन करते समय वह स्वयं का मोबाईल नंबर अंकित करें, क्योंकि इसी मोबाईल नंबर पर आवश्यक सूचनाएँ समय-समय पर SMS द्वारा भेजी जावेगी।

7. ऑनलाईन पंजीकरण के उपरांत अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी (लागू हो तो), शैक्षणिक योग्यता की जानकारी, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड कर ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेगा । तदुपश्चात अभ्यर्थी प्राथमिकता क्रम में अपनी इच्छानुसार अधिक से अधिक संस्था एवं ब्रांच का विकल्प भर सकता है।

8. ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित दस्तावेज होना चाहिए।
    1. जन्म प्रमाण पत्र अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10वीं की अंकसूची।
    2. अर्हकारी परीक्षा जैसे- मान्यता प्राप्त 10वीं/12वीं/स्नातक/डिप्लोमा/आई.टी.आई. में जो लागू हो की अंकसूची। (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ) । आवेदन के दिन अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पूरक/अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी मान्य नहीं है।
    3. सामान्य प्रवेश परीक्षा जैसे- पी.ई.टी./जे.ई.ई/पी.पी.एच.टी/प्री.एम.सी.ए./नीमसेट/पी.पी.टी./ सी.एम.ए.टी./जी.ए.टी.ई./जी.पी.ए.टी./एम.ए.टी./एक्स.ए.टी./ए.टी.एम.ए./नाटा में जो लागू हो की अंकसूची। (मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ)।
    4. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र 04 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक - 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक प्रासंगिक निर्धारित प्रारूप में। (च्वाइस सेंटर से बना निवास प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा)। अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए संबंधित राज्य के मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित प्रवर्ग/वर्ग के लिये अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है-

1. छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित प्रवर्ग के होने के संबंध में स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
2. सैनिक वर्ग में आने वाले अभ्यर्थी के लिए सैनिक कल्याण बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रारूप 3(अ), 3(ब) या 3(स) में ।
3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में आने वाले अभ्यर्थी के लिए संलग्न किए गए निर्धारित प्रारूप क्रमांक -4 में कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
4. निःशक्तता से बाधित वर्ग में आने वाले अभ्यर्थी के लिए जिला मेडिकल बोर्ड से विकलांगता प्रमाण पत्र एवं अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु संचालित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से उपयुक्तता प्रमाण पत्र।

9. संबंधित/समुचित एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए संबंधित/समुचित विभिन्न स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम एवं जी.ए.टी.ई. (GATE) के विषय की सूची परिशिष्ट – 1 में दी हुई है।
10. बैचलर आफ इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी के प्रथम वर्ष एवं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) के प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा में अनिवार्य तीन विषयों की सूची परिशिष्ट – 2 में दी हुई है।
11. डिप्लोमा वोकेशनल के आधार पर बैचलर आफ इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु डिप्लोमा वोकेशनल की विशेषज्ञता से संबंधित प्रासंगिक विषय क्षेत्रों की सूची परिशिष्ट – 3 में दी हुई है।
12. एक पाठ्यक्रम हेतु एक अभ्यर्थी से संबंधित मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि किसी भी कारणवश कोई अभ्यर्थी अपना आवेदन नहीं भर पा रहा है। तो वह निम्न अभ्यर्थी सुविधा केन्द्रों में अपने समस्त मूल दस्तावेज एवं फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाकर अपनी समस्या का निदान कर सकता है।

अभ्यर्थी सुविधा केन्द्रों का नाम

क्र.	अभ्यर्थी सुविधा केन्द्रों का नाम	जिला	दूरभाष क्रमांक
1	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर	रायपुर	83193-36275
2	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर	बिलासपुर	89669-41834
3	झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर	बस्तर	79993-11361
4	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर	सरगुजा	07774-220609
5	शासकीय पॉलीटेक्निक, नारायणपुर	नारायणपुर	97553-48508
6	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर	बिलासपुर	98263-08234
7	धर्मु माहरा शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर	बस्तर	07782-229230
8	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी	धमतरी	97700-02406
9	उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग	दुर्ग	0788-2323548
10	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया	कोरिया	79997-43372
11	शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर	जशपुर	97133-99998
12	रामकृष्ण राठौर शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर-चांपा	जांजगीर	99073-82275
13	किरोड़ीमल शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़	रायगढ़	07762-222737
14	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम	कबीरधाम	07741-232636
15	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुन्द	महासमुन्द	70009-68900
16	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर	रायपुर	79035-28448
17	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक राजनांदगाँव	राजनांदगाँव	62636-34180
18	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़	राजनांदगाँव	89639-53373
19	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद	गरियाबंद	81095-42787
20	शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर	कांकेर	82794-41396
21	शासकीय पॉलीटेक्निक, बीजापुर	बीजापुर	81092-53112
22	शासकीय पॉलीटेक्निक, सुकमा	सुकमा	79990-63380
23	शासकीय पॉलीटेक्निक, रामानुजगंज	बलरामपुर	79748-11319
24	शासकीय पॉलीटेक्निक, मुंगेली	मुंगेली	94791-76258
25	शासकीय पॉलीटेक्निक, बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	70249-51715

26	इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कोरबा	कोरबा	99814-43708
27	एन.एम.डी.सी., डीएव्ही, पॉलीटेक्निक, जावंगा, दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	91318-61324
28	शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा	बलौदाबाजार	98264-03452
29	शासकीय पॉलीटेक्निक, बेरला	बेमेतरा	99934-88950
30	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोण्डागांव	कोण्डागांव	94252-01021
31	शासकीय पॉलीटेक्निक, सूरजपूर	सूरजपूर	79879-53932
32	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा	कोरबा	8770085613
33	शासकीय पॉलीटेक्निक, बिलासपुर	बिलासपुर	07752-291842
34	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बिलासपुर	बिलासपुर	8770367190
35	शासकीय पॉलीटेक्निक, बालोद	बालोद	79990-12934
36	शासकीय सह-शिक्षा पॉलीटेक्निक, रायपुर	रायपुर	95752-43237

13. सीटों का आवंटन केन्द्रीय आनलाईन कांउसिलिंग प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी आनलाईन आवेदन करते समय विशेष सावधानी रखें। आवेदन में त्रुटि होने पर या गलत जानकारी पाये जाने पर आवेदन/आबंटन/प्रवेश निरस्त किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।
14. अन्य राज्य के आरक्षित श्रेणी (जिनके पास छ.ग. राज्य का निवासी प्रमाण पत्र है, परन्तु छ.ग. राज्य के आरक्षित वर्ग का होने संबंधी जाति प्रमाण पत्र नहीं है) में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अथवा योग्यता में छूट की प्रावधान नहीं है। इन्हें अनारक्षित श्रेणी में मान्य करते हुये नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।
15. शैक्षणिक अर्हताएँ, संस्था में प्रवेश की तिथि से पूर्व पूर्ण होना आवश्यक है। प्रवेश की तिथि को अनुत्तीर्ण अथवा पूरक/कम्पार्टमेंट अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नही है। यदि अभ्यर्थी निर्धारित अर्हता, प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व, प्राप्त कर लेता है तो वह प्रवेश हेतु पात्र माना जायेगा।
16. यदि अभ्यर्थी संबंधित बोर्ड द्वारा कृपांक से उत्तीर्ण है, तो वह प्रवेश हेतु उत्तीर्ण होने की पात्रता को पूरा करता है। परंतु अर्हकारी/मेरिट अंक की गणना करते समय कृपांक को नहीं जोड़ा जायेगा।
17. अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व होगा।
18. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा अन्य राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में ऑफ कैम्पस/स्टडी सेन्टर तथा फ्रेन्चाईसी चलाने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है। इस तरह संचालित ऑफ कैम्पस/स्टडी सेन्टर तथा फेन्चाईसी व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त शैक्षणिक अर्हताएं राज्य में इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी, आर्किटेक्चर एवं फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मान्य नहीं है।
19. दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एम.सी.ए./एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय एवं ऑफ सेन्टर/स्टडी सेन्टर की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश हेतु मान्य किया जावेगा।
20. इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, आर्किटेक्चर एवं फार्मेसी में डिप्लोमा/स्नातक/स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दूरस्थ शिक्षा/ओपन स्कूल के माध्यम से मान्यता प्राप्त 10वीं/12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

21. इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, आर्किटेक्चर एवं फार्मेसी में प्रवेश हेतु दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातक पाठ्यक्रमों में एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

22. प्रथम चरण ऑनलाइन कॉउंसिलिंग के सीटों के आवंटन व प्रवेश प्रक्रिया के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों के लिए द्वितीय चरण में आवेदन हेतु वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जानी है जो प्रथम चरण में थी। उक्त रिक्त सीटों में पूर्व प्रवेशित छात्रों द्वारा द्वितीय चरण में आवेदन करने पर उनके प्रवेश निरस्त होने से रिक्त होने वाली सीटें भी शामिल है। द्वितीय चरण ऑनलाइन कॉउंसिलिंग में नये अभ्यर्थी सहित निम्न प्रकार के अभ्यर्थी हो सकते है :

1. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आवंटन के पश्चात् संस्था में प्रवेश ले चुके है – ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण में आवंटित सीट पर प्रवेश ले लिया है एवं प्रवेशित सीट से संतुष्ट है, उन्हें द्वितीय चरण में भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व आवंटित सीट बदलना चाहते है तो उन्हें इसकी अनुमति है, उन्हें द्वितीय चरण में पुनः नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दूसरे चरण में सम्मिलित होने पर उनका प्रथम चरण का प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जायेगी एवं वह सीट रिक्त सीट में जुड़ जायेगी।
2. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आवंटन प्राप्त किये थे परन्तु संस्था में प्रवेश नहीं लिये – ऐसे अभ्यर्थी की प्रथम चरण की आवंटित सीट निरस्त मानी जायेगी एवं इन्हें पुनः द्वितीय चरण में नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आवेदन किये थे परन्तु आवंटन नहीं हुआ था – ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः द्वितीय चरण में नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
4. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आवेदन नहीं किए थे – ऐसे अभ्यर्थी नया आवेदन कर सकते है।

उक्त समस्त प्रकार के अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाईन कौउंसिलिंग शुल्क देय होगा।

23. प्रथम एवं द्वितीय चरण में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर रिक्त सीटों पर आवंटन सूची निर्धारित तिथि को जारी की जायेगी। जिसे वेबसाइट में अवलोकन किया जा सकता है। आवंटित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था में निर्धारित अवधि में प्रवेश लेना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेने पर आवंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

24. द्वितीय चरण में जो अभ्यर्थी प्रथम चरण में किसी अन्य संस्था में प्रवेश ले चुके थे, उन्हें तात्कालिक रूप से स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के बिना भी प्रवेश लेने की अनुमति है, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को बाद में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

25. द्वितीय चरण की कॉउंसिलिंग पूर्ण होने के उपरांत रिक्त रह गई सीटो पर प्रवेश हेतु संस्था स्तर की कॉउंसिलिंग निम्नानुसार आयोजित की जायेगी।

1. विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वितीय चरण की कॉउंसिलिंग के उपरांत प्रवर्ग एवं वर्गवार रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाईट www.cgdte.cgstate.gov.in पर प्रकाशित की जायेगी।
2. संचालनालय द्वारा निर्धारित तिथियों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपलब्ध रिक्त सीटो पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी संस्था स्तर की कॉउंसिलिंग के लिए संचालनालय की ऑनलाईन कॉउंसिलिंग के लिए निर्धारित वेबसाईट पर निर्धारित फीस का भुगतान कर ऑनलाईन पंजीकरण (Registration) कर आवेदन कर सकते है।
3. अभ्यर्थी को किसी एक संस्था हेतु ही अपने विकल्प भरने की छूट होगी। अभ्यर्थी जिस संस्था का विकल्प भर रहे है, उस संस्था में उपलब्ध अधिक से अधिक ब्रांच का विकल्प भर सकते है। अभ्यर्थी जिन ब्रांच के लिए विकल्प भरेंगे, उन्हीं ब्रांचो हेतु आवंटन किए जाने के लिए विचार किया जा सकेगा।
4. संस्था स्तर की कॉउंसिलिंग हेतु आवेदन करने पर यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी संस्था में प्रवेश लिया हुआ है, तो वह प्रवेश तब तक निरस्त नहीं होगा जब तक की अभ्यर्थी संस्था स्तर की कॉउंसिलिंग में प्रवेश नहीं लेगा।
5. संस्था स्तर की कॉउंसिलिंग हेतु आवेदन करने की अंतिम निर्धारित तिथि की समाप्ति के उपरांत संचालनालय द्वारा संबंधित संस्थाओं को ब्रांचवार प्रावीण्य सूची उपलब्ध करवाई जावेगी।
6. संचालनालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई मेरिट सूची के अनुसार संस्थाओं द्वारा संस्था स्तर पर आवंटन कर प्रवेश देने की कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित अंतिम तिथि तक ही प्रवेश देने की प्रक्रिया की जा सकेगी।
7. अभ्यर्थी का संस्था स्तर की कॉउंसिलिंग में किसी संस्था में प्रवेश लेने पर उसके द्वारा लिया गया पूर्व संस्था का प्रवेश स्वमेव ही निरस्त हो जावेगा।

26. अभ्यर्थी को आवंटन की सूचना SMS के द्वारा दी जाती है, किन्तु संचार नेटवर्क में समस्या के कारण आवश्यक नहीं कि SMS पहुंचे। अतः अभ्यर्थी Applicant login में जाकर अपने एप्लीकेशन आईडी एवं पासवर्ड डालकर अपना अस्थायी आवंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) देख सकते है एवं उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

27. संस्था द्वारा प्रवेश ऑनलाईन कन्फर्म किये जाने पर ही अभ्यर्थी का प्रवेश मान्य होता है। संस्था को अभ्यर्थी का प्रवेश निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व ऑनलाईन कन्फर्म करवाना अनिवार्य है, संस्था द्वारा प्रवेश कन्फर्म करने पर विद्यार्थियों का पासवर्ड एवं SMS द्वारा मोबाईल पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करने पर ही प्रवेश कन्फर्म किया जाता है। अभ्यर्थी प्रवेश ऑनलाईन कन्फर्म किये जाने की एक प्रति अभ्यर्थी अनिवार्य रुप से संस्था से प्राप्त करें।

1302

28. अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश के समय अन्य अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है -

1. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आय प्रमाण पत्र
2. पूर्व संस्था से स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र
3. गेप प्रमाण पत्र (यदि अध्ययन मे व्यवधान हुआ है तो)
4. माइग्रेशन प्रमाण पत्र (अन्य राज्य के बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये)
5. बी.पी.एल. परिवार में आने वाले अभ्यर्थी के लिए सक्षम अधिकारी से जारी पालक का बी.पी.एल.कार्ड।
6. आधार कार्ड

यदि आवेदक के पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो संस्था में प्रवेश के समय संस्था द्वारा आवेदक को अनारक्षित माना जायेगा। इसी प्रकार यदि आवेदक के पास सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/निःशक्तता से बाधित का प्रमाण पत्र नहीं है तो संबंधित वर्ग को NIL माना जायेगा एवं तद्नुसार संस्था द्वारा अभ्यर्थी के प्रवेश पर निर्णय लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये निर्देशों के अंतर्गत यथापरिभाषित होगा एवं नीचे अन्यथा वर्णित को छोड़ सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार अथवा वरिष्ठतर अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा समय-समय पर राज्य शासन के निर्देशों के तहत जारी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र (प्रारूप-5) के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है । इस प्रमाण पत्र में प्रकरण क्रमांक, जारी करने की तिथि व न्यायालय/कार्यालय की सील, जारीकर्ता अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है । छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्धशासकीय निकायों तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों के राज्य में या राज्य के बाहर पदस्थ होने पर तथा प्रारूप-6 मे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी । भारत सरकार के कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों एवं केन्द्रीय अर्धशासकीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के छत्तीसगढ़ राज्य मे इन नियमों के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पूर्व पदस्थ होने पर तथा प्रारूप-7 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी। भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित पिता/माता के सन्तान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माने जायेंगे । ऐसे पुनर्व्यवस्थापित पिता/माता की सन्तानों को प्रारूप-8 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

29. अभ्यर्थी को संस्था में प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज एवं उसकी एक सेट फोटोकापी की आवश्यकता होती है।

1. कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया प्रोविजनल एलॉटमेंट लेटर की प्रति ।
2. 10वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र ।

3. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची।

4. सामान्य प्रवेश परीक्षा का स्कोर कार्ड यदि लागू हो तो।

5. पूर्व संस्था से स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र।

6. गेप प्रमाण-पत्र (यदि अर्हकारी परीक्षा के बाद व्यवधान हुआ है तो)।

7. माइग्रेशन प्रमाण-पत्र यदि लागू हो तो ।

8. छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र। अन्य राज्य के विद्यार्थियो के लिए संबंधित राज्य के मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

9. स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (अस्थायी स्वीकार्य नहीं) यदि लागू हो तो।

10. निःशक्तता प्रमाण पत्र/सैनिक प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र (जो लागू हो)।

11. आधार कार्ड यदि बना हो तो (अनिवार्य नहीं)।

12. बैंक पासबुक की कापी यदि एकॉउंट खुला हो तो ।

13. आय प्रमाण-पत्र (केवल आरक्षित वर्ग के लिए) ।

14. स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो (03 प्रति)।

30. काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक निजी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, एम.सी.ए. एवं एम.बी.ए. संस्थाओं को रु. 1000/- एवं प्रत्येक निजी पालिटेक्निक संस्थाओं को रु. 500/- प्रति स्वीकृत सीट की दर से कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता अनुसार कॉशन मनी काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य है। किसी संस्था को कॉशन मनी न जमा करने पर अथवा अन्य समुचित कारण/कारणों से केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर रखना, यह काउंसिलिंग समिति का विशेषाधिकार रहेगा । यह काशन मनी संस्थाओं द्वारा ट्यूशन फी वेव्हर योजना के परिपालन एवं छात्रों की फीस संबंधी शिकायत के निराकरण के पश्चात वापसी योग्य है। फीस वापसी संबंधी शिकायतों का निराकरण यदि संस्था द्वारा नहीं किया जाता है, तो जमा काशन मनी से छात्रों को फीस वापस करने की कार्यवाही संचालनालय के द्वारा की जा सकती है।

31. शिक्षण, विकास, विविध अन्य शुल्क तथा अवधान राशि :

1. शासकीय संस्थाओं के लिए :- जैसा शासन द्वारा निर्धारित की जावे।

2. स्वशासी स्ववित्तीय तथा निजी संस्थाओं के लिए :- ''छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008'' के अंतर्गत गठित की गई ''प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति'' द्वारा प्रस्तावित/अनुशंसित एवं शासन/विश्वविद्यालय द्वारा इस बावत् अधिसूचित शुल्क लागू होगी।

3. लागू शुल्क संरचना/आदेश की जानकारी वेबसाईट www.cgdteraipur.cgstate.gov.in एवं काउंसिलिंग की संबंधित वेबसाईट में उपलब्ध रहेगी।

4. लागू शुल्क को किसी राष्ट्रीय/अधिसूचित बैंक में संस्था के नाम से संचालित खाते में चालान, चेक, डिमांड ड्राफ्ट अथवा अन्य किसी बैंकिंग उपकरण के माध्यम से जमा किया जाना चाहिये। शुल्क को नगद जमा नहीं किया जाना है।

32. मैनेजमेंट एवं प्रायोजित कोटा पर प्रवेश संस्था स्तर पर नियमानुसार दिया जावेगा।

33. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों के प्रवेश -

1. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित व्यक्ति के पुत्र/पुत्रियों के लिये शासकीय संस्थाओं, शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं, स्वशासी-स्ववित्तीय एवं निजी क्षेत्र के संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त आरक्षित है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से निर्धारित प्रारूप-9 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों के पुत्र/पुत्रियों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य नहीं है।

2. इसी वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप-10 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

3. किसी संस्था/ब्रांच के लिये एक ही तिथि को एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रथमतः छत्तीसगढ़ में विस्थापित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी । तत्पश्चात् अन्य राज्य में विस्थापित को सीट रिक्त रहने पर प्रवेश दिया जा सकेगा, परंतु अलग-अलग तिथि होने पर जो ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर सीट आवंटित किया जायेगा ।

4. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिये आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य नही है। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश होंगे ।

5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के पत्र क्र- No. F.5-84/2012/AICTE/J&K/(Seats)/1016 दिनांक 8 नवंबर, 2012 के दिशा निर्देशानुसार जम्मू कश्मीर के निवासी छात्रों के प्रवेश के लिए प्रत्येक स्नातक इंजीनियरिंग संस्था में दो-दो सांख्येत्तर सीट उपलब्ध रहेगी। इस हेतु भी प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नही होगी एवं प्रवेश 12 वीं की मेरिट के आधार पर होगा।

34. छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी के नियम -

1. काउंसिलिंग के दौरान प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व अपना प्रवेश निरस्त करवाने हेतु यदि अभ्यर्थी द्वारा कॉउसिलिंग कार्यक्रम में घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व प्रवेश निरस्त करवाने हेतु आवेदन करने पर बी.ई., बी./डी.फार्मेसी, बी. आर्क, एम.सी.ए., एम.टेक., एम. फार्मेसी एवं एम. बी.ए. पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थी से रू. 1000/- की तथा डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इन इनटीरियर डिजाईन एवं डेकोरेशन, डिप्लोमा इन मार्डन आफिस मेनेजमेंट एवं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थी से रू. 500/- की कटोती करने के पश्चात् शेष राशि संबंधित संस्था द्वारा वापस की जायेगी ।
2. कॉउसिलिंग कार्यक्रम में घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व प्रवेश निरस्त करने हेतु आवेदन नहीं करने पर अभ्यर्थी की फीस वापसी हेतु योग्य नही होगा।

टीप :- छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त करने पर फीस वापसी के उपरोक्त बिंदु राज्य शासन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिव्यूव पिटिशन क्रमांक REVP/70/2017 के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

3. प्रवेश निरस्त कराने/होने पर फीस वापसी के मामले मे शिकायत प्राप्त होने पर प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के निर्णय/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही होगी ।

35. ट्यूशन फी वेव्हर योजना :- यह योजना एआईसीटीई/पीसीआई/सीओए के दिशा निर्देशानुसार लागू की जायेगी। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को मेरिट के आधार पर शिक्षण शुल्क में छूट देकर प्रोत्साहन किया जाना है। यह योजना स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में लागू होगी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.सी.ए. में भी यह योजना लागू होगी। योजना की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

1. यह योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी कॉउसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिये लागू होगी।
2. कांउसिलिंग के समय संस्थाओं के अनुमोदित सीटों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत सांख्येत्तर सीटों को भी सम्मिलित किया जाएगा। तथापि अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ संबंधित संस्था में उसी स्थिति में प्राप्त हो सकेगा जब संबंधित ब्रांच में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त प्रवेश हुआ हो। यह सांख्येत्तर सीटें केवल उसी स्थिति में उपलब्ध होगी, यदि विगत अकादमिक वर्ष में संबंधित कोर्स में स्वीकृत सीटों पर कम से कम 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हुआ हो। अतिरिक्त प्रवेशित संख्या के बराबर TFW नियमानुसार सामान्य प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा जिसके आधार पर प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण किया गया हो के अनुसार देय होगी।

3. यदि किसी संस्था की किसी ब्रांच में स्वीकृत प्रवेश क्षमता 60 है, और कुल प्रवेश 63 छात्रों का होता है तो 3 अभ्यर्थियों को TFW दिया जावेगा। किंतु यदि किसी ब्रांच में 60 प्रवेश क्षमता है और उसमें 62 अभ्यर्थियों का प्रवेश होता है तो केवल 2 अभ्यर्थी ही फी वेव्हर स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। प्रवेश क्षमता से कम प्रवेश होने पर TFW देने की बाध्यता नहीं होगा। तथापि कोई संस्था स्वेच्छा से TFW देने के लिये स्वतंत्र होगी। ओपन, महिला, निःशक्तता से बाधित आदि कोई श्रेणी निर्धारित नहीं है। मेरिट में जो अभ्यर्थी आए उसे TFW देय होगी। शासकीय संस्थाओं में जहां विगत अकादमिक वर्ष में संबंधित कोर्स में स्वीकृत सीटों पर कम से कम 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हुआ हो, उन संस्थाओं में अतिरिक्त प्रवेश न होने पर भी 5 प्रतिशत सीटों पर TFW देय होगा।
4. TFW सीटें संस्था की अनारक्षित की सीटों में जोड़ी जायेगी।
5. जिन संस्थाओं में इसी अकादमिक सत्र से प्रवेश प्रारंभ हुआ है, उन्हें TFW सीट प्राप्त नहीं होंगी।
6. इस हेतु छात्र/छात्रा के पालक/अभिभावक की विगत वित्तीय वर्ष की समस्त स्त्रोतों से आय रू. 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये। आय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा करना अनिवार्य है। आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप-11 में सक्षम अधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित प्रारूप से किसी अन्य प्रारूप में सक्षम अधिकारी से जारी किया गया ऐसा आय प्रमाण-पत्र जिसमें वित्तीय वर्ष एवं समस्त स्त्रोतो का उल्लेख हो मान्य किया जावेगा। TFW स्वीकृत करने की पूरी प्रक्रिया संस्थाओं द्वारा ही किया जाना है। प्रस्ताव संचालनालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है। जिन छात्रों को TFW स्वीकृति प्राप्त होगी उनके द्वारा प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय जमा की गयी शिक्षण शुल्क की राशि संस्था द्वारा छात्रों को वापस की जायेगी एवं द्वितीय सेमेस्टर से फीस नहीं ली जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् परिपालन (compliance) हेतु छात्रों को वापस किये गये रिफण्ड चेक की छाया प्रति एवं छात्रों की सूची संचालनालय को भेजी जानी है।
7. TFW प्राप्त छात्र को ब्रांच एवं संस्था परिवर्तन की अनुमति रहेगी। तथापि संस्था/ब्रांच परिवर्तन पर या सीट छोड़ने पर फी वेव्हर की पात्रता समाप्त हो जावेगी। रिक्त TFW सीट पर पात्रतानुसार प्रतीक्षा सूची की मेरिट से फी वेव्हर स्वीकृत किया जा सकता है।
8. एक बार स्वीकृत की गयी फी वेव्हर पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिये लागू होगी।
9. TFW जिन अभ्यर्थियों को स्वीकृत की जायेगी वे यदि योग्यता रखते है, तो उनकी छात्रवृत्ति की पात्रता भी बनी रहेगी।

10. TFW के अंतर्गत केवल शिक्षण शुल्क माफ होगी, किंतु संस्था में ली जाने वाली अन्य फीस देय होगी।

11. प्रत्येक संस्था TFW प्राप्त कर रहे समस्त छात्रों की सूची प्रतिवर्ष वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगी।

12. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

36. संचालनालय की वेबसाइट पर समस्त संस्थाओं की सूची, संस्थाओं की फीस की जानकारी, प्रवेश नियम, काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध की जायेगी।

37. अभिभावकों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट) की राय में आवेदक के पिता और माता दोनों की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हो तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

38. दत्तक संतानों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में दत्तक संतान के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक संतान होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व निष्पादित वैध दत्तकनामा (अॅडॉप्शन डीड) होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा गत पांच वर्षों में आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण-पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता/माता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहें हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

39. यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के कारण नियत तिथि पर प्रवेश हेतु संस्था में उपस्थित रहने में असमर्थ है और वह इस आशय का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/संबंधित चिकित्सालय के प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करता है, तो उसके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर प्रवेश प्रक्रिया हेतु उसके पिता/अभिभावक उपस्थित हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी के प्रवेश लेने के उपरांत यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए विभाग सक्षम होगा ।

40. प्रवेश नियम 2023 के अनुसार गठित कॉउंसिलिंग समिति इस प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने हेतु अधिकृत है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

25.7.2023

(रेखा साहू)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा

एवं रोजगार विभाग

परिशिष्ट - '1'

संबंधित/समुचित एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए संबंधित/समुचित विभिन्न स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम एवं जी.ए.टी.ई. (GATE) के विषय

क्र.	एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम का नाम जिसमें प्रवेश दिया जाना है	पात्रता हेतु संबंधित डिग्री पाठ्यक्रम के ब्रांच/ विषय का नाम इंजीनियरिंग एवं साइंस	संबंधित/समुचित जी.ए.टी.ई. परीक्षा के विषय
1	सी.ए.डी.- सी.ए.एम. (रोबोटिक्स)	मेकेनिकल इंजीनियरिंग/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/मेकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग /आटोमोबाईल इंजीनियरिंग/मेनुफेक्चरिंग इंजीनियरिंग/इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग/मेटलर्जी इंजीनियरिंग/मटेरीयल साइंस/एरोनोटीकल इंजीनियरिंग	एम.ई./ पी.आई.
2	कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग	कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग/टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग/ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग/ इंस्ट्रुमेंटेशन एण्ड कन्ट्रोल/ ईलेक्ट्रानिक्स/ ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन/कम्प्युटर हार्डवेयर एण्ड साफ्ट वेयर इंजीनियरिंग/एम.सी.ए./ एम.एस.सी.(आई.टी.)/एम.एस.सी.(सी.एस.)/ एम.एस.सी. (ईलेक्ट्रानिक्स) /ए.ई.एण्ड आई.	सी.एस./ ई.सी./ आई.एन./ ई.ई.
3	ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग (डिजिटल ईलेक्ट्रानिक्स)	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन/इंस्ट्रुमेंटेशन एण्ड कंट्रोल/ए.ई.एण्ड आई/एम.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स)	ई.सी./ आई.एन.
4	ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग (इन्सट्रुमेंटेशन एण्ड कंट्रोल)	एप्लाईड इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेंटेशन/ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेंटेशन/ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /इन्सट्रुमेंटेशन/ईलेक्ट्रानिक्स/इन्सट्रुमेंटेशन एण्ड कंट्रोल	ई.सी./ आई.एन.
5	इनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग	कोई भी ब्रांच	कोई भी विषय
6	सिविल इंजीनियरिंग (स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग)	सिविल इंजीनियरिंग	सी.ई.
7	कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी/कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लीकेशन	कम्प्यूटर साईंस/इनफारमेशन टेक्नोलॉजी/एम.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.)/ एम.एस.सी. (सी.एस.)/कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	सी.एस.
8	इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग (कम्युनीकेशन)	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रान्क्सि/एम.एस.सी. (ईलेक्ट्रानिक्स)/ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड ईंस्ट्रुमेंटेशन	ई.सी./ आई.एन.
9	कम्प्यूटर एडेड डिजाईन	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /प्रोडक्शन इंजीनियरिंग /रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कन्डीसनिंग/ आटो मोबाईल इंजीनियरिंग / मेनुफेक्चरिंग/ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग /टूल एण्ड डाई मेकिंग/ड्रिलींग टेक्नोलाजी/फेब्रीकेशन टेक्नोलॉजी एण्ड ईरेक्शन इंजीनियरिंग /मेकाट्रानिक्स/टेक्सटाईल इंजीनियरिंग /प्रींटींग टेक्नोलॉजी /पेपर टेक्नोलॉजी /शुगर टेक्नोलॉजी /प्लास्टीक टेक्नोलॉजी	एम.ई./ पी.आई./ टी.एफ.
10	थर्मल इंजीनियरिंग	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	एम.ई./ पी.आई.
11	पावर ईलेक्ट्रानिक्स	ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रानिक्स/ए.ई. एण्ड आई./ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन/ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग /एम.एस.सी. (ईलेक्ट्रानिक्स)	ई.ई./ई.सी. /आई.एन.
12	वी.एल.एस.आई. एण्ड एमबेडेड सिस्टम डिजाईन/ वी.एल.एस.आई. डिजाईन	ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रानिक्स/ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेंटेशन/ कम्प्यूटर साईंस/इनफारमेशन टेक्नोलॉजी/ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	ई.सी./ सी.एस./ आई.एन.

...शन सिक्युरिटी	कम्प्यूटर साईस/ इनफरमेशन टेक्नोलोजी/एम.एस.सी.(आई.टी.)	सी.एस.
...फ्टवेयर इंजीनियरिंग	कम्प्यूटर साईस/इनफारमेशन टेक्नोलोजी/एम.एस.सी.(आई.टी.)	सी.एस.
मेकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाईन/मशीन डिजाईन	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /आटोमोबाईल इंजीनियरिंग /ऐरोनॉटीकल इंजीनियरिंग /प्रोडक्सन इंजीनियरिंग	एम.ई./ पी.आई.
मेकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्सन इंजीनियरिंग)	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /प्रोडक्सन इंजीनियरिंग /आटोमोबाईल इंजीनियरिंग /मटेरियल साईस/मेनुफेक्चरिंग/ईन्डसट्रीयल इंजीनियरिंग /मेटेलर्जी इंजीनियरिंग	एम.ई./ पी.आई./ एम.टी.
ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (पावर सिस्टम इंजीनियरिंग) /ईलेक्ट्रीकल सियाईसेस एण्ड पावर सिस्टम इंजीनियरिंग	ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /पावर इंजीनियरिंग	ई.ई.
मशीन डिजाईन	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /आटोमोबाईल इंजीनियरिंग /ऐरोनोटीकल इंजीनियरिंग /प्रोडक्सन इंजीनियरिंग	एम.ई./ पी.आई.
इनफारमेशन टेक्नोलॉजी	कम्प्यूटर साईस/इनफारमेशन टेक्नोलॉजी/कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी/एम.सी.ए./ एम.एस.सी.(आई.टी.)/एम.एस.सी.(सी.एस.)	सी.एस.
इंडसट्रीयल इंजीनियरिंग /इंडसट्रीयल इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेंट	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /मेक्ट्रानिक्स/आटोमोबाईल इंजीनियरिंग /एरोनोटीकल इंजीनियरिंग /इंडसट्रीयल इंजीनियरिंग /प्रोडक्सन इंजीनियरिंग /मेटलर्जी इंजीनियरिंग	एम.ई./ आई.एन./ पी.आई./ एम.टी.
ई.-सिक्युरीटी	कम्प्यूटर साईस/कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी/इनफ़ारमेशन टेक्नोलॉजी /कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड सापट वेयर इंजीनियरिंग /एप्लाईड ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन/ ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन/ ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेली कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग /एम.सी.ए./ एम.एस.सी.(आई.टी.)/एम.एस.सी.(सी.एस.)	सी.एस./ ई.सी./ आई.एन.
ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनीकेशन	ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रानिक्स / ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन/ एम.एस.सी.(ईलेक्ट्रानिक्स)	ई.सी./ आई.एन.
ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन	एप्लाईड ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन/ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन/ ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग /एम.सी.ए./ एम.एस.सी. (आई.टी.)/एम.एस.सी.(सी.एस.)	ई.सी./ आई.एन.
इंडसट्रीयल ड्राईव्स एण्ड कन्ट्रोल	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड पावर सिस्टम/पावर इंजीनियरिंग /पावर इलेक्ट्रानिक्स अथवा एप्रोप्रिएट डिसीप्लीन रिलेटेड टु इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	ई.ई.
कम्प्यूटर नेटवर्क	कम्प्यूटर साईस/इनफारमेशन टेक्नालॉजी/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /इन्सट्रुमेनटेशन एण्ड कन्ट्रोल/इलेक्ट्रानिक्स/ ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन/कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड सापटवेयर इंजीनियरिंग /ए.ई.आई./ एम.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.)/एम.एस.सी.(सी.एस.)/ एम.एस.सी.(ईलेक्ट्रानिक्स)	सी.एस./ ई.सी./ आई.एन./ ई.ई.
साईबर फोरेंसिक एण्ड इनफारमेशन सिक्युरिटी	कम्प्यूटर साईस/ इनफारमेशन टेक्नालॉजी/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / इन्सट्रुमेनटेशन एण्ड कन्ट्रोल/इलेक्ट्रानिक्स/ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेनटेशन/कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड सापटवेयर इंजीनियरिंग /ए.ई.आई./ एम.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.)/एम.एस.सी.(सी.एस.)/ एम.एस.सी.(ईलेक्ट्रानिक्स)	सी.एस./ई.सी. /आई.एन./ ई.ई.

27	इनर्जी मेनेजमेंट	मेकेनिकल इंजीनियरिंग / आटोमोबाईल इंजीनियरिंग / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग /इण्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग /मेकाट्रानिक्स/एरानोटीकल इंजीनियरिंग	एम.ई.
28	पावर सिस्टम एण्ड कन्ट्रोल	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड पावर सिस्टम/पावर इंजीनियरिंग /पावर इलेक्ट्रिानिक्स अथवा एप्रोप्रिएट डिसीप्लीन रिलेटेड टु इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	ई.ई.
29	इंडस्ट्रीयल सेफ्टी	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /सिविल इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग /इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनीकेशन इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / केमिकल इंजीनियरिंग/ मेटलर्जी इंजीनियरिंग /माइनिंग इंजीनियरिंग /आटोमोबाईल इंजीनियरिंग /प्रोडक्शन इंजीनियरिंग /इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग /पावर इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेन्टेशन /एरानॉटीकल इंजीनियरिंग / इन्सट्रुमेन्टेशन एण्ड कन्ट्रोल/ ए.ई.आई. इंजीनियरिंग /पावर सिस्टम इंजीनियरिंग /पावर ईलेक्ट्रिानिक्स/मेकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग	सी.ई./एम.ई./ई.ई./ई.सी./एम.टी./पी.आई./सी.एच./एम.एन.
30	पावर ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड पावर सिस्टम	ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /पावर इंजीनियरिंग	ई.ई.
31	ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग	सिविल इंजीनियरिंग	सी.ई.
32	टर्बो मशीनरी	मेकेनिकल इंजीनियरिंग /एरोस्पेस इंजीनियरिंग /ऐरोनॉटीकल इंजीनियरिंग/ मेनुफेक्चरिंग इंजीनियरिंग/ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग/ प्रोडक्सन इंजीनियरिंग/ मेकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग /मेरीन इंजीनियरिंग	एम.ई./ पी.आई./ए.ई.
33	इलेक्ट्रिकल पावर एण्ड एनर्जी सिस्टम	ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (पावर)/ ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (पावर एण्ड आटोमेशन)/पावर इंजीनियरिंग/ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	ई.ई./ई.सी.
34	डाटा साईंस	कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग/ इनफारमेशन टेक्नालॉजी/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनीकेशन इंजीनियरिंग /ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग/ एम.सी.ए. या एम.एस.सी. /एम.एस. (सी.एस./आई.टी./मेथ्स/ स्टेटिस्टिक्स)	सी.एस./ ई.ई./ई.सी./एम.ए.
		बी.ई./बी.टेक. की अन्य ब्रांच या समकक्ष	ई.ई./ ई.सी./सी.एस.
35	डिजीटल कम्युनिकेशन	ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनीकेशन इंजीनियरिंग/ इनफॉरमेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी/ईलेक्ट्रानिक्स एवं इन्सट्रुमेंटेशन/ इलेक्ट्रिकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग /एप्लाईड इलेक्ट्रानिक्स एम.एस.सी. (फिजिक्स/ईलेक्ट्रानिक्स)	ई.सी./आई.एन.
36	नेनो टेक्नोलॉजी	ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग / मैकेनिकल इंजीनियरिंग /मेटलर्जी /बायोमेडिकल इंजीनियरिंग/ एप्लाईड इलेक्ट्रानिक्स/ इंजीनियरिंग फिजिक्स/ एम.एस.सी. (मेथ्स/बायोकेमेस्ट्री/माईक्रो बायोलॉजी)	ई.सी.ई./ ई.ई./आई.एन./एम.ए./एम.ई./एम.टी./पी.एच./एक्स.ई.-सी./एक्स.ई.-एफ./एक्स.एल.-क्यू/एक्स.एल-एस.
37	हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग	ईलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग/ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या समकक्ष	ई.ई.

	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साईंस	बी.ई./बी.टेक. की कोई भी ब्रांच या समकक्ष/एम.सी.ए./ एम.एस.सी./ एम.एस. (सी.एस./आई.टी./गणित/स्टेटिस्टिक्स)	संबंधित इंजीनियरिंग विषय
39	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्नींग	बी.ई./बी.टेक. की कोई भी ब्रांच या समकक्ष/एम.सी.ए./ एम.एस.सी./एम.एस. (सी.एस./आई.टी./गणित/स्टेटिस्टिक्स)	संबंधित इंजीनियरिंग विषय
40	जियोटेक्नीकल इंजीनियरिंग	सिविल इंजीनियरिंग/एम.एस.सी.(जियोलॉजी)	सी.ई./ जियोलॉजी
41	माईनिंग इंजीनियरिंग	बी.ई./बी.टेक. की माईनिंग इंजीनियरिंग या समकक्ष	एम.एन.
42	बायो मेडिकल इंजीनियरिंग एण्ड बायो इनफारमेटिक	बी.ई./बी.टेक.-बायो मेडिकल/बायो टेक्नालॉजी/बायो इनफारमेटिक्स/ई.टी. एण्ड टी./सी.एस.ई./आई.टी./ई.ई./ई.ई.ई./ई.एण्ड आई. इन्स्ट्रुमेनटेशन इंजीनियरिंग/मेकाट्रानिक्स, एम.एस.सी. (इलेक्ट्रानिक्स, सी.एस.ई./आई.टी./बायो इनफारमेटिक्स/बायो टेक्नालॉजी/लाईफ साईंस/फीजिक्स/मेथ्स/केमेस्ट्री)	बी.टी./ई.सी./सी.एस./पी.एच./एम.ए./एक्स.एल./सी.वाय
43	कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंश एण्ड मशीन लर्नींग)	बी.ई./बी.टेक. समकक्ष/एम.सी.ए./एम.एस.सी./एम.एस. (सी.एस./आई.टी./मैथमेटिक्स/स्टेटिक्स)	संबंधित इंजीनियरिंग विषय
44	एनर्जी एण्ड इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग	बी.ई./बी.टेक./एम.एस.सी.(फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टेक्नालॉजी,इनवायरमेंट, इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग/बी.टेक. एग्रिकल्चर)	इंजीनियरिंग का कोई भी विषय/पी.एच./सी.वाय./बी.टी./एक्स.एल./ए.जी.
45	इनवायरमेंटल एण्ड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग	बी.ई./बी.टेक. (सिविल इंजीनियरिंग/इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग/वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग/एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या समकक्ष) एम.एस.सी. (इंजीनियरिंग)	सी.ई./ई.ई./डब्लू.आर.ई./ए.ई.
46	माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स एण्ड वीएलएसआई	बी.ई./बी.टेक. इन इलेक्ट्रानिक्स/ई.सी.ई./ई.टी.सी./ई.ई.ई./ई.ई./ई.एण्ड आई./आई एण्ड सी./सी.एस.ई./सी.एस./आई.टी./मेकाट्रानिक्स/नेनो टेक्नालॉजी/मटेरियल साईंस इंजीनियरिंग/आई.ई.टी.ई./ए.एम.आई.ई. (ई.सी.ई./सी.एस.ई./आई.टी./ई.ई.) एम.एस.सी.(फीजिक्स/इलेक्ट्रानिक्स/सी.एस./आई.टी./इनफारमेटिक्स/इनफारमेशन साईंस)	ई.सी./पी.एच./आई.एन./सी.एस./ई.ई.
47	एम.टेक. इलेक्ट्रीकल व्हीकल टेक्नालॉजी	बी.ई./बी.टेक. इन मेकेनिकल इंजीनियरिंग/मेकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग/आटोमोबाईल [illegible] एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग/एप्लाइड इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेनटेशन/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेनटेशन/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	एम.ई./ई.ई./ [illegible]

टीप :- (1) समुचित तकनीकी विषयों को समान मानते हुये एकजाई मेरिट के आधार पर आवंटन किया जायेगा।

(2) किसी तकनीकी विषयों के समतुल्य होने के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(3) यह नियमित कोर्स है एवं नौकरी पेशा अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए अपने नियोक्ता से इस संबंध में अनापत्ति/प्रायोजन प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इनके लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है।

(4) ईलेक्ट्रानिक्स, ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन, ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन को समतुल्य माना जाएगा। एप्लाईड इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्टेशन, ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्टेशन को समतुल्य माना जाएगा। इसी प्रकार फीजिक्स एवं एप्लाईड फीजिक्स तथा केमेस्ट्री एवं एप्लाईड केमेस्ट्री को समतुल्य माना जाएगा।

(5) एम.ई./एम.टेक. के किसी विषय में प्रवेश के लिए जी.ए.टी.ई. (गेट) के विभिन्न विषयों को समान मानते हुए प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट निर्धारित किया जाएगा।

परिशिष्ट - '2'

बेचलर आफ इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी के प्रथम वर्ष एवं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) के प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वी की परीक्षा में अनिवार्य तीन विषयों की सूची

क्रमांक	अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी के प्रमुख विषय क्षेत्र का नाम जिसमे प्रवेश लिया जाना है	(10+2) स्तर पर अनिवार्य विषय का नाम
1	एरोनाटिकल इंजीनियरिंग, सिरेमिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, डेयरी इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, फायर एण्ड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मेरिन इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग मिलिटरी इंजीनियरिंग, माईनिंग इंजीनियरिंग, नेनो टेक्नालॉजी, न्यूक्लियर साईस एण्ड टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल इंजीनियरिंग	भौतिकी, रसायन एवं गणित
2	कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	भौतिकी, गणित एवं रसायन/कम्प्यूटर साईस/इलेक्ट्रानिक्स/इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी/बायोलॉजी/इंफॉर्मेटिक्स प्रेक्टिस/जैवप्रौद्योगिकी /तकनीकी व्यावसायिक विषय/एग्रीकल्चर/इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/बिजनेस स्टडीज /एंटरप्रेन्योरशिप में से कोई 01 विषय
3	बायो टेक्नालॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग	भौतिकी, रसायन एवं बायोलॉजी/जैवप्रौद्योगिकी/गणित में से कोई 01 विषय
4	एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग	भौतिकी, रसायन एवं बायोलॉजी/जैवप्रौद्योगिकी /गणित/एग्रीकल्चर में से कोई 01 विषय
5	फूड इंजीनियरिंग, लेदर टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल केमेस्ट्री	रसायन एवं भौतिकी/गणित/कम्प्यूटर साईस/इलेक्ट्रानिक्स/इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी/बायोलॉजी/इंफॉर्मेटिक्स प्रेक्टिस/जैवप्रौद्योगिकी/तकनीकी व्यावसायिक विषय/एग्रीकल्चर/इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/बिजनेस स्टडीज/एंटरप्रेन्योरशिप में से कोई 02 विषय
6	प्रिंटिंग इंजीनियरिंग	भौतिकी, रसायन एवं गणित/कम्प्यूटर साईस/इलेक्ट्रानिक्स/इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी/बायोलॉजी/इंफॉर्मेटिक्स प्रेक्टिस/जैवप्रौद्योगिकी/तकनीकी व्यावसायिक विषय/एग्रीकल्चर/इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/बिजनेस स्टडीज/एंटरप्रेन्योरशिप में से कोई 01 विषय
7	पेकेजिंग टेक्नालॉजी, फैशन टेक्नालॉजी	भौतिकी/रसायन/ गणित/कम्प्यूटर साईस/इलेक्ट्रानिक्स/इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी/बायोलॉजी/इंफॉर्मेटिक्स प्रेक्टिस/जैवप्रौद्योगिकी/तकनीकी व्यावसायिक विषय/एग्रीकल्चर/इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/बिजनेस स्टडीज/एंटरप्रेन्योरशिप में से कोई 03 विषय

टीप :-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28 अप्रैल 2017 में दर्शित अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी के प्रमुख विषय क्षेत्र के अंतर्गत अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी के तदनुरूपी पाठ्यक्रम मान्य होंगे।

परिशिष्ट – '3'

डिप्लोमा वोकेशनल के आधार पर बैचलर आफ इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी के प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु डिप्लोमा वोकेशनल की विशेषज्ञता से संबंधित प्रासंगिक विषय क्षेत्रों की सूची

क्रमांक	विशेषज्ञता	प्रासंगिक विषय क्षेत्र
1	आटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नालॉजी	मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग, मैकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग
2	आटोमोबाईल सर्विसिंग	मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग, मैकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग
3	प्रोडक्शन टेक्नालॉजी	मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग, मैकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग
4	इंडस्ट्रीयल टूल मैन्युफेक्चरिंग	मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग, मैकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग
5	रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेट्रानिक्स इंजीनियरिंग, इलेट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग, मैकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग
6	साफ्टवेयर डेव्लपमेन्ट	कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजीनियरिंग, इंफार्मेशन टेक्नालॉजी
7	ग्राफिक्स एण्ड मल्टीमीडिया	कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजीनियरिंग, इंफार्मेशन टेक्नालॉजी
9	फुड प्रोसेसिंग	एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग
10	इलेक्ट्रानिक मैन्युफेक्चरिंग सर्विसेस	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेट्रानिक्स इंजीनियरिंग, इलेट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकाट्रानिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

1. प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग .... जिला .... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक ....
प्रमाण पत्र क्रमांक .... प्रकरण क्रमांक ....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....पिता/पति का नाम .... निवासी ग्राम/नगर ....पटवारी हल्का नं. .... वि.खं. .... तहसील ....जिला ....संभाग .... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति /जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .... जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक..............................पर अंकित है अतः श्री/सुश्री .... पिता/पति का नाम .... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री .... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .... है ।

दिनांक- ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

टिप्पणी

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद्/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, जैसा कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जाय।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये, न कि अभ्यर्थी के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप-2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग .... जिला .... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक ....
प्रमाण पत्र क्रमांक ....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... आत्मज श्री .... निवासी ग्राम ....जिला संभाग .... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो ....जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा-वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री .... और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला ....संभाग .... में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक .... को प्रव्रजन कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.. क्रीमी लेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक 360/2122/93/स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची में कालम-3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .... है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप-3 (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भूतपूर्व मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित
प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक.................................... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (माता/पिता का नाम) ....जो कि .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम) .... के पिता/माता है,

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे..............................पद पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांक.. था।

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौ सेना में .... पद पर सर्विस क्रमांक .... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष .... में हो चुकी है।

स्थान ....
दिनांक ....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील सैनिक कल्याण अधिकारी

प्रारूप-3 (ब)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारी द्वारा स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.............................. दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....(अभ्यर्थी के माता/पिता नाम) जो कि .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री .... (अभ्यर्थी का नाम) के माता/पिता है, भूतपूर्व प्रतिरक्षा कार्मिक है और स्थायी रूप से .... (स्थान) तहसील...जिला...छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवस्थापित है ।

स्थान ....
दिनांक ....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कार्यालय सील सैनिक कल्याण अधिकारी

प्रारूप-3 (स)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक............................ दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)जो कि .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री.................................. (अभ्यर्थी का नाम) के पिता/माता (जो लागू न हो उसे काट दें) है वह थल सेना/वायु सेना/नौसेना में .... ओहदे पर सर्विस क्रमांक............................के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक है और वह प्रतिरक्षा........................ इकाई में पदस्थ है । वे इस इकाई में दिनांक ....से सेवारत है ।

स्थान ....दिनांक ....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील
कमांडिंग आफिसर

प्रारूप-4

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.................................... दिनांक....................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .... (अभ्यर्थी का नाम) श्री/सुश्री.. (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) के/की वैध संतान है। जो श्री/सुश्री..(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध संतान है। श्री/ सुश्री.. (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला..के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांक...पर पंजीकृत है।

स्थान .... (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

दिनांक ....

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा
प्राधिकृत डिप्टी कलेक्टर से
अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी

पदनाम एवं सील

प्रारूप-5

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

क्रमांक .... दिनांक..............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....

आत्मज/आत्मजा/पत्नी ....निवासी..................................

तहसील .... व जिला.................................. छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि वह -

1/ **निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :-**

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।
2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई -

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भी:-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते है ।

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है,
6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो अर्थात:-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा.

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा.

(ग) अन्य मामलों में पांचवी कक्षा की परीक्षा,

2/ **उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे:-**

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/ अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान ।

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील

प्रारूप-6

छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक.........................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...(अभ्यर्थी का नाम) जो .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का/की अभ्यर्थी है श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का पुत्री/संतान है,

क- जो छत्तीसगढ़ शासन के ....विभाग में.....................................पद पर...........................तिथि से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक हैं ।

अथवा

ख- जो छत्तीसगढ़ शासन के ....विभाग में ....पद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक थे और...तिथि से इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए ।

स्थान.............................. कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष के

दिनांक............................ (नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

प्रारूप-7

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ
कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.................................... दिनांक...............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी का नाम) जो .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है, श्री/सुश्री...........................(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का/की/संतान है, जो.........................तिथि से छत्तीसगढ़ में स्थित इस कार्यालय.................. स्थान...................................जिला...........................में.................................पद पर पदस्थ है जो

भारत सरकार के...विभाग

अथवा

भारत सरकार के ....सार्वजनिक उपक्रम

अथवा

भारत सरकार के ....अर्धशासकीय निकाय

का / की कार्मिक है ।

स्थान...

दिनांक...

कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष
के नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्रारूप-8

छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक........................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..जो.............. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है । श्री/सुश्री ....का/की/संतान है, जो...योजना के तहत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना है ।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर

कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

पदनाम एवं सील

प्रारूप-9

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.. दिनांक..............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...(अभ्यर्थी का नाम) जो .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री...............................(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित है ।

स्थान.. ....

दिनांक.. (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रारूप-10

छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक...

दिनांक...............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...(अभ्यर्थी का नाम) जो .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थियों की स्थानों के विरूद्ध प्रवेश का अभ्यर्थी है, के पिता/माता श्री/सुश्री...छत्तीसगढ़ के कार्मिक है जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु पदस्थ है जिनकी पदस्थापना दिनांक.............................से दिनांक........................तक ....(स्थान का नाम) जिला...............................में रही है ।

स्थान...

दिनांक...

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

शासन में विभागाध्यक्ष अधिकारी का नाम,
हस्ताक्षर, पद एवं
विभाग का नाम

प्रारूप-11

न्यायालय तहसीलदार, तहसील.. जिला .... (छत्तीसगढ़)

/ आय प्रमाण-पत्र /

राजस्व प्रकरण क्र.................. दिनांक...............

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पिता श्री .... निवासी .... तहसील .... जिला .... (छ.ग.) का 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रु .... शब्दों में .... रुपये है ।

यह आय प्रमाण पत्र आवेदक के पुत्र/पुत्री/पत्नि.. के लिए जारी किया जाता है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी,
पदनाम एवं सील

नोट :

1. यह प्रमाण-पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा शिक्षण शुल्क में माफी मुख्यतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है । अतः प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी यथोचित सावधानी पूर्वक यह प्रमाण-पत्र जारी करें ।
2. सक्षम अधिकारी अन्य प्रारूप में जिसमें वित्तीय वर्ष एवं समस्त श्रोतों का उल्लेख हो में भी आय प्रमाण पत्र जारी कर सकते है ।

1. प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

प्रारूप–1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग .... जिला .... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक ....
प्रमाण पत्र क्रमांक .... प्रकरण क्रमांक ....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....पिता/पति का नाम .... निवासी ग्राम/नगर ....पटवारी हल्का नं. .... वि.खं. .... तहसील ....जिला ....संभाग ....जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति /जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .... जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक..................पर अंकित है अतः श्री/सुश्री .... पिता/पति का नाम ....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री .... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .... है ।

दिनांक– ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

टिप्पणी

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, जैसा कि राज्य षासन द्वारा निर्धारित किया जाय।

   यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये, न कि अभ्यर्थी के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप–2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी *लेयर* को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग .... जिला .... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक .... प्रमाण पत्र क्रमांक ....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....आत्मज श्री .... निवासी ग्राम ....जिला संभाग .... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो ....जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा–वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री .... और/या उनका परिवार सामान्यत: छत्तीसगढ़ के जिला ....संभाग .... में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक .... को प्रवजन कर चुका है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.................................... *क्रीमी लेयर* (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्णो की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक 360/2122/93/स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8–9–93 द्वारा जारी सूची में कालम–3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7–26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .... है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप–3 (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण–पत्र

भूतपूर्व मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित
प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक.................................. दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (माता/पिता का नाम) ....जो कि .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम) .... के पिता/माता है,

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे.............................. ....पद पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांक.. था।

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौ सेना में .... पद पर सर्विस क्रमांक .... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष .... में हो चुकी है।

स्थान ....

दिनांक ....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील सैनिक कल्याण

अधिकारी

प्रारूप–3 (ब)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण–पत्र

भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारी द्वारा स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक............................ दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....(अभ्यर्थी के माता/पिता नाम) जो कि .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष मे प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री .... (अभ्यर्थी का नाम) के माता/पिता हैं, भूतपूर्व प्रतिरक्षा कार्मिक है और स्थायी रूप से ....(स्थान) तहसील.............................. ....जिला...छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवस्थापित है ।

स्थान ....

दिनांक ....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कार्यालय सील सैनिक कल्याण अधिकारी

प्रारूप–3 (स)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण–पत्र

कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक.............................. दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)जो कि .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री....................................(अभ्यर्थी का नाम) के पिता/माता (जो लागू न हो उसे काट दें) हैं वह थल सेना/वायु सेना/नौसेना में .... ओहदे पर सर्विस कर्मांक...........................के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक हैं और वह प्रतिरक्षा........................इकाई में पदस्थ हैं । वे इस इकाई में दिनॉक ....से सेवारत हैं ।

स्थान ....दिनांक ....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील
कमांडिग आफिसर

प्रारूप–4

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.................................. दिनांक..................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....(अभ्यर्थी का नाम) श्री/सुश्री.. (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) के/की वैध संतान है। जो श्री/सुश्री...(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध संतान है। श्री/ सुश्री...(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला...... ....के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में कर्मांक...................... ....पर पंजीकृत है ।

स्थान .... (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

दिनांक ....

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा
प्राधिकृत डिप्टी कलेक्टर से
अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी

पदनाम एवं सील

प्रारूप–5

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

क्रमांक .... दिनांक..............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....

आत्मज/आत्मजा/पत्नी ....निवासी...

तहसील .... व जिला............................. छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि वह –

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :–

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।

2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई –

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैद्य अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भी–

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं ।

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है,

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों अर्थात–

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा.

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा.

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा,

2/ उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे:–

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक ़जंजनजवतलद्ध पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान ।

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरुप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

प्रारूप–6

छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....(अभ्यर्थी का नाम) जो .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का/की अभ्यर्थी है श्री/सुश्री ....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का की/संतान है,

क– जो छत्तीसगढ़ शासन के ....विभाग में ....पद पर ....तिथि से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक हैं ।

अथवा

ख– जो छत्तीसगढ़ शासन के ....विभाग में ....पद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक थे ओर ....तिथि से इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए ।

स्थान ....

दिनांक ....

कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष के
(नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

प्रारूप–7

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपकमों/अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ कमॉक.................................   दिनॉक.............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...(अभ्यर्थी का नाम) जो .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है, श्री/सुश्री...........................(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का/की/संतान है, जो..........................तिथि से छत्तीसगढ़ में स्थित इस कार्यालय................. स्थान...................................... जिला..........................में.................................पद पर पदस्थ हैं जो

भारत सरकार के...विभाग

अथवा

भारत सरकार के ....सार्वजनिक उपकम

अथवा

भारत सरकार के ....अर्धशासकीय निकाय

का / की कार्मिक है ।

स्थान...

दिनॉक...

कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष
के नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्रारूप–8

छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक..............................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..जो................ पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है । श्री/सुश्री ....का/की/संतान है, जो.......................................
..................योजना के तहत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना है ।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर

कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
पदनाम एवं सील

प्रारूप–9

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमॉक... दिनॉक...................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...(अभ्यर्थी का नाम) जो .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री...............................(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित हैं ।

स्थान.. ....

दिनॉक.. (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रारूप–10

छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर
राज्य में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ कमॉक.................................... दिनॉक...............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी का नाम) जो .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थियों की स्थानों के विरूद्ध प्रवेश का अभ्यर्थी है, के पिता/माता श्री/सुश्री...छत्तीसगढ़ के कार्मिक हैं जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु पदस्थ हैं जिनकी पदस्थापना दिनॉक........................से दिनॉक.....................तक ....(स्थान का नाम) जिला..............................में रही है ।

स्थान.. (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
दिनॉक..

शासन में विभागाध्यक्ष अधिकारी का नाम,
हस्ताक्षर, पद एवं
विभाग का नाम

प्रारूप–11

न्यायालय तहसीलदार, तहसील.. जिला .... (छत्तीसगढ़)

/ आय प्रमाण–पत्र /

राजस्व प्रकरण क्रं................   दिनांक..............

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पिता श्री .... निवासी ....तहसील .... जिला .... (छ.ग.) का **31 मार्च 2023** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू .... शब्दों में ....रूपये है ।

यह आय प्रमाण पत्र आवेदक के पुत्र/पुत्री/पत्नि... के लिए जारी किया जाता है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी,
पदनाम एवं सील

नोट :

1. यह प्रमाण–पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा शिक्षण शुल्क में माफी मुख्यतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है । अतः प्रमाण–पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी यथोचित सावधानी पूर्वक यह प्रमाण–पत्र जारी करें ।
2. सक्षम अधिकारी अन्य प्रारूप में जिसमें वित्तीय वर्ष एवं समस्त श्रोतों का उल्लेख हो में भी आय प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं ।

Contact Details

अभ्यर्थी सुविधा केन्द्र

Candidate Facilitation Centers (CFC)

क.	अभ्यर्थी सुविधा केन्द्रों का नाम	जिला	दूरभाष कमांक
1	छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर	रायपुर	83193–36275
2	छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान, बिलासपुर	बिलासपुर	07752–260289
3	छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान जगदलपुर बस्तर	बस्तर	79993–11361
4	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर	सरगुजा	07774–220609
5	शासकीय पॉलीटेक्निक, नारायणपुर	नारायणपुर	97553–48508
6	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर	बिलासपुर	94791–75581
7	धर्मू माहरा शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर	बस्तर	96913–52007
8	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी	धमतरी	96850–69802
9	उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग	दुर्ग	0788–2323548
10	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया	कोरिया	74157–78878
11	छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान, जशपुर	जशपुर	62002–03814
12	रामकृष्ण राठौर शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर–चांपा	जांजगीर	70003–70462
13	छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान , रायगढ़	रायगढ	07762–222737
14	छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान, कबीरधाम	कबीरधाम	07741–232636
15	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुन्द	महासमुन्द	70009–68900
16	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर	रायपुर	79035–28448
17	शासकीय पॉलीटेक्निक राजनांदगॉव	राजनांदगॉव	62636–34180
18	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	89639–53373
19	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद	गरियाबंद	81095–42787
20	शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर	कांकेर	82794–41396
21	शासकीय पॉलीटेक्निक, बीजापुर	बीजापुर	81092–53112

22	शासकीय पॉलीटेक्निक, सुकमा	सुकमा	79990–63380
23	शासकीय पॉलीटेक्निक, रामानुजगंज	बलरामपुर	79748–11319
24	शासकीय पॉलीटेक्निक, मुंगेली	मुंगेली	90393–52685
25	शासकीय पॉलीटेक्निक, बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	70240–25722
26	एन.एम.डी.सी., डीएव्ही, पॉलीटेक्निक, जावंगा, दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	91318–61324
27	शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा	बलौदाबाजार	98271–63295
28	शासकीय पॉलीटेक्निक, बेरला	बेमेतरा	99934–88950
29	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोण्डागांव	कोण्डागांव	94252–01021
30	शासकीय पॉलीटेक्निक, सूरजपूर	सूरजपूर	79996–30535
31	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा	कोरबा	87706–89687
32	शासकीय पॉलीटेक्निक, बिलासपुर	बिलासपुर	07752–291842
33	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बिलासपुर	बिलासपुर	81093–94867
34	शासकीय पॉलीटेक्निक, बालोद	बालोद	79990–12934
35	शासकीय सह–शिक्षा पॉलीटेक्निक, रायपुर	रायपुर	81099–76615 97706–35853
36	शासकीय पॉलिटेक्निक कुरूद	धमतरी	78285–02696
37	शासकीय पॉलिटेक्निक, चिरमिरी	मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	96411–24873
38	शासकीय पॉलिटेक्निक, पथरिया	मुंगेली	7987934282
39	शासकीय पॉलिटेक्निक, थानखमरिया	बेमेतरा	7828424754
40	शासकीय पॉलिटेक्निक, बगीचा	जशपुर	6260222551
41	शासकीय पॉलीटेक्निक मरवाही	गौरेला पेंड्रा मरवाही	9827207990

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर

S.No.	Name	Designation	Mobile No	Email Id	Address
1.	Dr. Abhitab Dubey	Additional Director	9575243237	cgdteacademics@gmail.com	CGDTE, Nava Raipur
2.	Mr. Vinod Verma	Deputy Director	8770484081	cgdteacademics@gmail.com	CGDTE, Nava Raipur
3	Mr. Fanendra Bharati Joshi	Lecturer	8109108215	cgdtecounselling@gmail.com	CGDTE, Nava Raipur
4.	Mr. Abhinn Saluja	Lecturer	7409855757	cgdtecounselling@gmail.com	CGDTE, Nava Raipur

राज्यस्तरीय हेल्प डेस्क नंबर:- 07712221376

EMAIL :- cgdtecounselling@gmail.com